



# वार्षिक रिपोर्ट 2016-17



राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
भारत सरकार





# वार्षिक रिपोर्ट

## 2016–17



एनआरआरडीए

राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्कर विकास एजेंसी  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
भारत सरकार





# विषय- सूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ
1.	भूमिका	1
2.	एनआरआरडीए के उद्देश्य	2
3.	संगठनात्मक व्यवस्थाएं	4
4.	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना	9
5.	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र	13
6.	गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के तीसरे स्तर का सुदृढ़ीकरण	17
7.	मॉनीटरिंग	18
8.	अनुसंधान और विकास	26
9.	बाह्य सहायता—प्राप्त परियोजनाएं	30
10.	नामिका में हाल ही में शामिल किए गए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के लिए अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	40
11.	चालू वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा निरीक्षणों का लक्ष्य और उपलब्धियां	42
12.	बजट	42
13.	लेखा एवं लेखा—परीक्षा	42
14.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	42
15.	अनुलग्नक	45





## 1. भूमिका

- 1.1** सड़कें राष्ट्र के मुख्य मार्ग हैं और इनसे सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यावश्यक अवसरंचनात्मक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध न होना भारत में एक गंभीर समस्या है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में। खराब सड़क अवसंरचना से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक तरकी, कृषि उत्पादकता, और रोजगार पर असर पड़ता है और गरीबी से इसका करीबी नाता है। एक राष्ट्र-व्यापी ग्रामीण सड़क निवेश कार्यक्रम—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—पीएमजीएसवाई जो ग्रामीण भारत की पात्र बसावटों में बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत सरकार इस समस्या का समाधान कर रही है। अवसंरचना विकास पर व्यापक तौर पर ध्यान दिए जाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) ने ग्रामीण सड़कों के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का इरादा जाहिर किया है।
- 1.2** तदानुसार, ग्रामीण सड़क संयोज्यता की प्रमुख भूमिका, गरीबी का सतत उन्मूलन सुनिश्चित करने में होती है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने देश की ग्रामीण बसावटों को टिकाऊ सड़क संयोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

हालांकि ग्रामीण सड़कों का विषय राज्यों का होता है, फिर भी भारत सरकार ने ग्रामीण सड़क संयोज्यता के महत्व को देखते हुए केन्द्र द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित तथा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का शुभारम्भ किया था। फिर भी, 01.04.2015 से वित्तपोषण की पद्धति बदल दी गई है और अब यह योजना भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में 90:10 के अनुपात में चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, मैदानी इलाकों में 500 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने का है।

विशेष श्रेणी के राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखण्ड), मरुस्थली क्षेत्रों (मरुस्थल विकास कार्यक्रम में यथा—निर्धारित), जनजातीय (अनुसूची—V) क्षेत्रों तथा चयनित जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों (गृह मंत्रालय और पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा यथा—अभिनिर्धारित) के संबंध में उद्देश्य यह है कि 250 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बसावटों को सड़क से जोड़ दिया जाए। गृह मंत्रालय द्वारा यथा—अभिनिर्धारित सर्वाधिक गहन आईएपी विकास खंडों में 100 एवं इससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली बसावटें पीएमजीएसवाई के तहत शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं।

- 1.3** वर्ष 2000 में लगभग 40% बसावटों को बारहमासी सड़क संयोज्यता उपलब्ध नहीं थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरम्भ किए जाने के बाद जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) तैयार करने तथा कोर नेटवर्क की पहचान करने का कार्य विधिवत् किया गया था। कोर नेटवर्क की अवधारणा यह सुनिश्चित करने की है कि सभी पात्र बसावटों को एकल बारहमासी संयोजन



उपलब्ध कराया जाए। इस आयोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 1.59 लाख बसावटों (राज्यों की योजनाओं के अंतर्गत शामिल बसावटों को छोड़कर) को 3.93 लाख किलोमीटर की अनुमानित सङ्क लम्बाई के साथ नया सङ्क संयोजन उपलब्ध कराने तथा 3.73 लाख किलोमीटर लम्बाई वाली विद्यमान सङ्कों का उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा सामान्य मैदानी क्षेत्रों में 500 तथा इससे अधिक की जनसंख्या, अनुसूची-**V** (82 आईएपी को छोड़कर) तथा बीएडीपी, पहाड़ी राज्यों, मरुस्थली क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाली शेष बची बसावटों व अरुणाचल प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त जिलों में 250+ जनसंख्या वाली अतिरिक्त असंयोजित बसावटों को शामिल करने हेतु हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा किये गये अनुमोदन के बाद, 2001 की जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत कुल पात्र असंयोजित बसावटों की संख्या 1,78,184 हो जाती है।

**1.4** राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) का गठन 14 जनवरी, 2002 को 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-XXI के अंतर्गत किया गया था। एनआरआरडीए का मूल उद्देश्य तकनीकी विनिर्देशों, परियोजना मूल्यांकन, गुणवत्ता प्रबोधन और प्रबोधन प्रणालियों पर परामर्श के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने का है। मंत्रालय को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से एजेंसी इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रबन्ध सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक सुगठित व्यावसायिक तथा बहु-विषयी निकाय के रूप में काम कर रही है।

## 2. एनआरआरडीए के उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी की स्थापना मूलतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी:-

- (i) विभिन्न तकनीकी एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करना तथा ग्रामीण सङ्कों के उपयुक्त डिज़ाइन और विनिर्देशों को अंतिम रूप देना और इसके बाद पुलों और पुलियाओं सहित ग्रामीण सङ्कों के डिज़ाइन और विनिर्देश निर्धारित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करना।
- (ii) प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करना।
- (iii) ख्याति-प्राप्त तकनीकी संस्थानों को, उनको सौंपे जाने वाले कार्यों के निष्पादन के लिए प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त करना।
- (iv) राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को जिला सङ्क योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
- (v) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने के लिए, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संवीक्षा करना या संवीक्षा कराने की व्यवस्था करना।



- (vi) मंत्रालय द्वारा स्वीकृत तथा कार्यनिष्पादन एजेंसियों के जरिए राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सड़क कार्यों के निष्पादन पर स्वतंत्र मॉनीटरों के माध्यम से नजर रखना और निरीक्षण करना या कराना।
- (vii) राज्य एजेंसियों द्वारा सड़क कार्यों का समुचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों के बारे में अनुभव रखने वाले सेवारत और सेवानिवृत इंजीनियरों, शिक्षाविदों, प्रशासकों और अन्य एजेंसियों को स्वतंत्र मॉनीटरों के रूप में नियुक्त करना।
- (viii) निर्माण पूरा करने की निर्धारित समय—सीमा, तकनीकी विनिर्देशों, परियोजना मूल्यांकन एवं गुणवत्ता नियंत्रण विधियों के विशेष संदर्भ में सड़क कार्यों की प्रगति मॉनीटर करना।
- (ix) आंकड़ों के तत्क्षण अवलोकन और स्क्रीनिंग को सुगम बनाने के लिए अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु 'ऑन लाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं लेखांकन व्यवस्था' स्थापित करना जिसमें दोनों—इन्टरनेट और इन्ट्रानेट आधारित प्रणालियां शामिल हों।
- (x) राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सड़क कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट भेजना।
- (xi) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनायी गयी ग्रामीण सड़कों के दोनों ओर फल देने वाले और अन्य उपयुक्त वृक्षों के रोपड़ की योजना पर नजर रखना और ऐसे वृक्षारोपण को मॉनीटर करना।
- (xii) राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त व्यय संबंधी रिपोर्टों के द्वारा तथा 'ऑन लाइन प्रबंधन, प्रबोधन एवं लेखांकन प्रणाली' के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी की गयी धनराशि के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले व्यय को मॉनीटर करना।
- (xiii) पायलट परियोजनाओं के निष्पादन सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित अनुसंधान कार्यकलाप हाथ में लेना।
- (xiv) ग्रामीण सड़कों के संबंध में भिन्न—भिन्न प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और मूल्यांकन तथा अलग—अलग प्रौद्योगिकियों वाली प्रायोगिक परियोजनाओं पर अमल करना।
- (xv) ग्रामीण सड़कों के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों, एजेंसियों अथवा निकायों के साथ मिलकर काम करना।
- (xvi) मंत्रालय के और संबंधित राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
- (xvii) ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता तथा लागत—मानदण्डों में सुधार के उपायों पर सलाह देना।



- (xviii) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के बारे में पुस्तकों, साहित्य प्रकाशित करना, प्रिंट, दृश्य अथवा दृश्य—श्रव्य प्रचार सामग्री तैयार करना या इसकी व्यवस्था करना।
- (xix) ग्रामीण सङ्कों के बारे में कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन और प्रायोजन करना।
- (xx) ग्रामीण सङ्कों के निर्माण के लिए अपेक्षित उपकरण अथवा मशीनें खरीदना, लीज पर तथा किराए पर लेना।
- (xxi) कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना और इसी तरह के अन्य संबंधित कार्यक्रमों, जिन पर अमल किया जाना हो, की आयोजना और कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करने के लिए यथा—आवश्यक गतिविधियां शुरू करना।

### 3. संगठनात्मक व्यवस्थाएं

3.1 राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी की साधारण सभा में 21 सदस्य होते हैं जिनमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के प्रतिनिधि पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा पंजीकृत निकायों, ग्रामीण सङ्कों से संबंधित किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों में अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी के उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य में संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ—साथ एजेंसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से संबंधित विशिष्ट विशेषज्ञता, क्षमता अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल रहते हैं।

माननीय ग्रामीण विकास मन्त्री तथा ग्रामीण विकास सचिव, एन. आर. आर. डी. ए के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) की साधारण सभा का संघटन रिपोर्ट की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान इस प्रकार था :—

क्रम संख्या	नाम	कार्य—दायित्व एवं पता	एनआरआरडीए में पदनाम
1.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर <sup>1</sup>	ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष (पदेन)
2.	श्री अमरजीत सिन्हा	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	श्रीमती अंशु प्रकाश <sup>2</sup>	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)

<sup>1</sup>चौधरी बीरेन्द्र सिंह (4.7.2016 तक)

<sup>2</sup>श्रीमती सीमा बहुगुणा, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली (नवम्बर, 2016 तक)



4.	श्री राजेश भूषण	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक
5.	श्री प्रिया रंजन	निदेशक, (आर.सी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
6.	डॉ एस.एस. गणपति	सलाहकार (परिवहन), कमरा नं. 264, योजना भवन, योजना आयोग, नई दिल्ली—110001	सदस्य (पदेन)
7.	श्री मनोज कुमार	महानिदेशक (आर.डी) एवं विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
8.	श्री देबाशीष पाल	निदेशक, बीआरजीएफ पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
9.	श्री एस. एस नेगी	महानिदेशक, वन एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री राजेश केम्पराई <sup>३</sup>	आयुक्त सह विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, असम सरकार, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम	सदस्य
11.	डॉ. एम. नागम्बिका देवी	प्रधान सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, कर्नाटक सरकार सचिवालय, कमरा संख्या— 311, तीसरा तल, बहु—मंजिला भवन, अंबेडकर रोड, कर्नाटक	सदस्य
12.	श्री जसपाल सिंह	प्रधान सचिव, एसआरआरडीए, कमरा संख्या—603, छठा तल, लोक निर्माण विभाग (सड़क और पुल), पंजाब सरकार, लघु सचिवालय—2, चंडीगढ़	सदस्य

<sup>३</sup>श्री एम.सी. बोरो, आयुक्त सह विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, असम 31.05.2016 तक)



## राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

13.	श्री दीपक त्रिवेदी	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, कमरा संख्या—67, सचिव भवन, सिविल सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14.	श्रीमती मनीषा पंवार	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, ४बी, सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
15.	श्री सौरभ कुमार दास	प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, संयुक्त प्रशासनिक भवन, ब्लॉक एचसी—7, छठा तल, सेक्टर—111, साल्ट लेक, कोलकाता 700106, पश्चिम बंगाल	सदस्य
16.	श्री सतीश चन्द्र	निदेशक, केन्द्रीय सङ्क अनुसंधान संस्थान, सीआरआरआई, दिल्ली—मथुरा रोड, नई दिल्ली	सदस्य
17.	डॉ. अनूप कुमार मित्तल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
18.	ले.जन. सुरेश शर्मा, एवीएसएम	महानिदेशक, सीमा सङ्क संगठन, 274—सीमा सङ्क भवन, रिंग रोड, नारायणा, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली 110010	सदस्य
19.	प्रोफेसर जी.जे. जोशी	डीन (शैक्षिक), सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी), सूरत, गुजरात	सदस्य
20.	डॉ. महेश कुमार	आभियंता सदस्य, डीडीए, बी—ब्लॉक, पहला तल, विकास सदन, आईएनए मार्केट के निकट, नई दिल्ली	सदस्य



इस वित्तीय में साधारण सभा की 23वीं बैठक 03 फरवरी, 2016 को हुई। बैठक की अध्यक्षता एनआरआरडीए के अध्यक्ष और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने की। बैठक में एनआरआरडीए के कार्यकलापों के पुनरीक्षण के अलावा वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया, वर्ष 2015–16 के एनआरआरडीए के अंकेक्षित लेखाओं को अंगीकृत किया गया तथा एनआरआरडीए के बजट–वर्ष 2016–17 के संशोधित प्राक्कलन व एनआरआरडीए के वर्ष 2017–18 के बजट प्राक्कलनों को सूचित किया गया।

- 3.2** राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) के नियमों तथा अधिनियमों में आगे कहा गया है कि एजेंसी की एक कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति में एनआरआरडीए के महानिदेशक पदेन अध्यक्ष हैं तथा एनआरआरडीए के अध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक सात सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। समिति को एजेंसी के सभी कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं बशर्ते कि वे इस संबंध में भारत सरकार तथा साधारण सभा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अधीन हों। रिपोर्ट के अधीन अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) की कार्यकारिणी समिति का संघटन इस प्रकार रहा :

क्रमांक	नाम	कार्य दायित्व और पता	एनआरआरडीए की कार्यकारिणी समिति में पदनाम
1.	श्री राजेश भूषण	संयुक्त सचिव (आरसी) एवं महानिदेशक (एनआरआरडीए), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (पदेन)
2	डॉ. प्रवीण कुमार	प्रोफेसर, परिवहन इंजीनियरिंग अनुभाग, सिविल इंजिनियरिंग विभाग, आईआईटी, रुड़की	सदस्य
3	डॉ. एम एस अमरनाथ	सिविल इंजीनियरिंग विभाग जनभारती परिसर, बंगलुरु विश्वविद्यालय बंगलूरु–560056 (कर्नाटक)	सदस्य
4	डॉ. अशोक कुमार सरकार	डीन फेकल्टी डिवीजन–I, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	सदस्य



5	प्रो. के.सुधाकर रेड्डी	प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, पश्चिम बंगाल खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,	सदस्य
6	श्री सीधिल सार्सी	निदेशक (वित्त), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7	डॉ. आई के पटैरिया	निदेशक (तकनीकी), एनआरआरडीए, नई दिल्ली	सदस्य
8	श्री उत्तम कुमार <sup>4</sup>	निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), एनआरआरडीए, नई दिल्ली	सदस्य

3.3 साधारण सभा द्वारा यथा—अनुमोदित संगठनात्मक ढांचे में 5 प्रभाग हैं। वर्तमान तैनाती अनुलग्नक—I पर दी गई है। संयुक्त सचिव (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआरआरडीए के पदेन महानिदेशक हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी एवं स्टॉफ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त थे :

1. डॉ. आई.के. पटैरिया, निदेशक (तकनीकी)
2. श्री उत्तम कुमार, निदेशक (परियोजना—III )
3. श्री आर बसवराज, निदेशक (परियोजना—II)
4. श्री पी. मोहनसुंदरम, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
5. श्री प्रवीण कुमार भल्ला, उप निदेशक (वित्त एवं लेखा)
- 6.. श्रीमती शालिनी दास, सहायक निदेशक (तकनीकी)
7. श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक (परियोजना—III )
8. श्रीमती टी. सुजाता, सहायक निदेशक (तकनीकी)
9. श्री कैलाश कुमार बिष्ट, सहायक निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)
10. श्री कुलवंत सिंह, चालक

अन्य अधिकारियों एवं स्टॉफ की व्यवस्था मानव शक्ति उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के माध्यम से कार्मिकों को काम पर लेकर की गई। नेमी कार्य, सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से बाहर से कराए जाते हैं।

<sup>4</sup>श्रीमती अंजलि सिंह, निदेशक (वित्त एवं लेखा) (22 जुलाई, 2016 तक)



## 4. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना

### 4.1 आयोजना

- 4.1.1** जिला ग्रामीण सङ्क योजनाएं एवं कोर नेटवर्क—जिला ग्रामीण सङ्क योजना में जिले की विद्यमान समस्त सङ्क नेटवर्क प्रणाली शामिल होती है तथा योजना में असंयोजित बसावटों को लागत एवं उपयोगिता के संदर्भ में किफायती एवं कार्यकुशल ढंग से सङ्क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित सङ्कों की स्पष्टतया पहचान की जाती है। कोर नेटवर्क ग्रामीण सङ्क का वह नेटवर्क होता है जो सभी बसावटों तक मूलभूत एकल बारहमासी सङ्क संयोजन उपलब्ध कराने के लिए अति—आवश्यक है। मूलभूत एकल बारहमासी सङ्क संयोजन का मतलब है— किसी बसावट तक एकल बारहमासी सङ्क संयोजन उपलब्ध होना। कोर नेटवर्क के अंतर्गत मौजूदा सङ्कों तथा असंयोजित पात्र बसावटों तक निर्मित की जाने वाली सङ्कें शामिल होती हैं।
- 4.1.2** सभी राज्य सरकारों को जिला ग्रामीण सङ्क योजना तैयार करनी होती है और प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत आयोजना के लिए कोर नेटवर्क की पहचान करनी होती है। सभी राज्यों से अंतिम कोर नेटवर्क डेटा प्राप्त हो चुका है तथापि कुछ राज्यों ने, विस्तृत सूची बनाने एवं मौके पर सत्यापन के बाद संरचना में आशोधन करने अथवा बसावटों की संयोजन संबंधी स्थिति को बदलने के लिए कोर नेटवर्क की समीक्षा करने की आवश्यकता प्रकट की है। कुछ राज्यों ने मौके पर सत्यापन हेतु स्वीकृति ले ली है और तदनुसार कोर नेटवर्क में अपेक्षित बदलाव कर लिये हैं। कुछ राज्यों ने गांव की अपेक्षा बसावट को संयोजन की इकाई मानते हुए (ऐसे राज्यों में पहले गांव को संयोजन की इकाई माना गया था) कोर नेटवर्क को संशोधित कर लिया है।

### 4.1.3 पीएमजीएसवाई—II के लिए जिला ग्राम सङ्क योजना का पुनरीक्षण

सभी राज्यों को पीएमजीएसवाई—II के अनुसार अपनी जिला ग्राम सङ्क आयोजना का पुनरीक्षण, 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए करना होता है। सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पीएमजीएसवाई—I के तहत 100 प्रतिशत नया संयोजन और सभी पात्र उन्नयन परियोजनाओं के 75 प्रतिशत संयोजन सौंपने (और स्वीकृत की गई 90 प्रतिशत भूमि) के बाद पीएमजीएसवाई—II के तहत संस्वीकृति मांगने के लिए पात्र हैं। अलग—अलग राज्य अलग—अलग समय पर पीएमजीएसवाई—II के तहत पात्र हो सकेंगे। 2016–17 तक बारह (12) राज्यों ने अपने डी आर आर पी पहले ही पुनरीक्षित कर लिए हैं और 9 राज्यों ने पीएमजीएसवाई—II के तहत अपने प्रस्ताव संस्वीकृत करा लिए हैं। ये 9 राज्य हैं— आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुंजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल।



#### 4.1.4 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सङ्क संपर्क योजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई)

सुरक्षा दृष्टिकोण से उन जिलों जो वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं, में ग्रामीण सङ्कों के सुधार के लिए “वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सङ्क संपर्क योजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई)” लागू की जा रही है और इसे सुरक्षा एवं संचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 44 सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों और उनके पड़ोसी जिलों में, पूर्व वर्ष तक प्रचालन—योग्य बारहमासी सङ्क जिसमें आवश्यक पुलों और पुलियाओं एवं आर—पार जल—निकासी संरचनाएं शामिल हैं, बनाकर संयोजन उपलब्ध कराने की एक सहवर्ती योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। ‘वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सङ्क संपर्क परियोजना’ जो कि केन्द्र प्रायोजित योजना है, के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रायोजन मंत्रालय और कार्यान्वयन मंत्रालय भी अभिनिर्धारित किया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सङ्क संपर्क योजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) को कार्यान्वित किए जाने की प्रस्तावित अवधि 4 वर्ष की अर्थात् 2016–17 से 2019–20 तक की है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ‘वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सङ्क संपर्क परियोजना’ की परिकल्पना गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सङ्कों/जिलों की सूची और जानकारी के अनुसार वामपंथी उग्रवादी हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित 35 वामपंथी उग्रवाद—ग्रस्त जिलों जिनके हिस्से में 90 प्रतिशत हिंसा के मामले आते हैं और सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले 9 पड़ोसी जिलों में चलाए जाने की परिकल्पना है। ‘वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सङ्क संपर्क परियोजना’ के तहत शुरू की जाने वाली सङ्कों में शामिल हैं—अन्य जिला सङ्कों, ग्राम सङ्कों, और विद्यमान बड़ी जिला सङ्कों जो सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ‘वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सङ्क संपर्क परियोजना’ के तहत बनाई जाने वाली सङ्कों का अभिनिर्धारण राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ गहन परामर्श करने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसके लिए लंबी परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई है।

परियोजना के तहत, अभिनिर्धारित किए गए 44 जिलों में 11,725 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर 126 पुलों/सीडी कार्यों और 5,411.81 किमी सङ्कों के निर्माण/उन्नयन का लक्ष्य है।

#### 4.2 तकनीकी सहायता

**4.2.1 प्रमुख तकनीकी एजेंसियां:**— भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान तथा अन्य अग्रणी तकनीकी संस्थानों सहित सात प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पी.टी.ए) को तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने, विभिन्न प्रौद्यौगिकी कार्यों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने, और ग्रामीण सङ्कों की गुणवत्ता एवं लागत मानदण्डों में सुधार के उपायों के बारे में सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रमुख तकनीकी एजेंसियों की सूची अनुलग्नक-II पर है।



**4.2.2 राज्य तकनीकी एजेंसियां**— राज्य सरकारों की सिफारिशों तथा कतिपय पूर्व-निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों को राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसियां (एस.टी.ए), राज्य सरकार द्वारा तैयार परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करती हैं तथा उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा की गई संवीक्षा से परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आती है और प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के कार्यान्वयन में एक निश्चित स्तर का तकनीकी अनुशासन और सख्ती स्थापित होती है, साथ ही यह राज्य प्राधिकारियों के लिए प्रशासनिक रूप से भी उपयुक्त है। 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) की सूची अनुलग्नक-III पर दी गई है।

#### **4.3.1 परियोजना संवीक्षा तथा स्वीकृति**

विस्तृत परियोजना प्रस्ताव राज्यों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा स्वीकृति के बाद उन्हें एनआरआरडीए को भेज दिया जाता है। एनआरआरडीए इन प्रस्तावों की परीक्षण जांचे एवं आगे और संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि प्रस्ताव, 'कार्यक्रम दिशा-निर्देशों' को दृष्टि में रखकर तैयार किये गए हैं या नहीं। ये संवीक्षित प्रस्ताव 'अधिकार-प्राप्त समिति' के समक्ष विचारार्थ रखे जाते हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान 30,532.94 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की जाँच कर उन्हें अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-IV और अनुलग्नक-IV (क) पर दिए गए हैं।




#### **4.3.2 प्रत्यक्ष उपलब्धियां**

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 2017 तक 1,24,709 बसावटों को 5,04,727 कि.मी. लम्बाई का नया बारहमासी सङ्क संयोजन तथा सङ्क उन्नयन कार्य उपलब्ध कराया गया है।


रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान 11,641 बसावटों को 47,447 कि.मी लम्बाई के नई सङ्क संयोजन तथा उन्नयन के साथ बारहमासी सङ्क संयोजन उपलब्ध कराया गया है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक V एवं अनुलग्नक VI पर दिये गये हैं।



वर्ष 2016-17 तक प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करित योजना की संचयी संयोजन प्रवृत्ति



वर्ष 2015-16 तक प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करित योजना की संचयी संयोजन प्रवृत्ति





#### 4.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रख—रखाव

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़क परिसंपत्तियों का टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण अनुबंध के साथ—साथ निर्माण

पश्चात् 5 वर्षीय अनुरक्षण का अनिवार्य प्रावधान भी वर्ष 2003 से लागू किया गया था। यह देखते हुए कि राज्यों में अनुरक्षण गतिविधियों की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की गई है जिसके अनुसार राज्यों को कार्यक्रम निधियां तभी जारी की जाएंगी जब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य ग्रामीण सड़क



विकास एजेंसी के बैंक खाते में सड़क अनुरक्षण निधियां जारी कर दी जाएंगी। मंत्रालय भी अनुरक्षण निधियों की उपलब्धता तथा इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए व्यय को मॉनीटर कर रहा है। राज्य की प्रतिबद्धता तथा प्रत्येक सड़क पर किए जाने वाले खर्च के अनुसार अनुरक्षण निधि की आवश्यकताओं को मॉनीटर करने हेतु ऑनलाइन प्रबंधन, प्रबोधन एवं लेखांकन प्रणाली में भी एक प्रावधान शामिल किया गया है। राज्यों को इस हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने राज्य में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की एक राज्य—विशिष्ट नीति स्थापित करें। अभी तक 20 राज्यों ने ग्रामीण सड़क अनुरक्षण नीति तैयार कर ली है। हरियाणा, करेल, मणिपुर, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल ने अपनी अनुरक्षण नीति 2016–17 के दौरान तैयार की है।

#### 5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़क कार्यों के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय ‘गुणवत्ता आश्वासन तंत्र’ की परिकल्पना की गई है। इस तंत्र के पहले दो स्तरों को संबंधित राज्य सरकारों के जिम्मे डाला गया है जबकि तीसरे स्तर के अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम)’ की सेवाएं हासिल की जाती हैं। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य ‘अच्छी बारहमासी सड़कें’ उपलब्ध कराने का है इसलिए कार्यक्रम की कार्यान्वयन कार्य—नीतियों में ‘गुणवत्ता’ को केन्द्रीय भूमिका दी गई है।






- ii) सङ्क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व मूल रूप से, कार्यक्रम कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों का होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी ने निर्माण के स्तर पर ही गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण हैंडबुक (क्यूएचबी-2016) निर्धारित की हैं और इन हैंडबुक में सङ्क एवं पुल कार्यों में से प्रत्येक के लिए सामान्य दिशा—निर्देश संगत खंडों में दिए गए हैं। गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दूसरे और तीसरे स्तर के अंतर्गत स्वतंत्र मॉनीटरों द्वारा निर्माण कार्यों के निरीक्षण के संबंध में भी दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, निरीक्षणों को विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे स्तर पर ये स्वतंत्र मॉनीटर, प्रत्येक निर्माण कार्य के कम से कम 10 डिजिटल फोटोग्राफ जरूर लें जिनमें से एक फोटोग्राफ स्थानिक प्रयोगशालाओं का हो और इस प्रकार लिए गए फोटोग्राफ 'ऑनलाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं लेखांकन प्रणाली' पर अपलोड किए जाएं ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित किए जाने वाले सङ्क निर्माण की गुणवत्ता को जनता द्वारा सुगमता से देखा जा सके। प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर इन दिशा—निर्देशों की समीक्षा की गई है और इन्हें समय—समय पर संशोधित किया गया है।
- iii) यह परिकल्पना की गई है कि निर्माण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता आश्वासन के मूल एवं प्राथमिक कार्यों के निर्वहन के प्रथम स्तर के गुणवत्ता प्रबंधन का काम परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ करें। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के प्रथम स्तर के अंतर्गत गुणवत्ता मानकों का प्रवर्तन, स्थानिक प्रयोगशालाएं स्थापित करके और उनमें अनिवार्य गुणवत्ता परीक्षणों के रूप में आंतरिक तंत्र स्थापित करने के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, यदा—कदा किए जाने वाले परीक्षणों के लिए स्थानिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से यह प्रयास किया गया है कि सभी राज्यों में राज्यीय एवं जनपदीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं। कार्यक्रम के दिशा—निर्देशों के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रत्येक पैकेज के लिए कार्य—स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जानी होगी।
- iv) द्वितीय स्तर के अंतर्गत, राज्य स्तर पर गुणवत्ता के स्वतंत्र प्रबोधन की व्यवस्था, राज्य ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में की गई है। राज्य ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी मुख्यालय से यह अपेक्षित होता है कि कार्यान्वयन इकाइयों से पृथक् गुणवत्ता मॉनीटरों की तैनाती करके, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखी जाए और गुणवत्ता श्रेणीकरण का सारांश,






फोटोग्राफ के साथ 'ऑनलाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं लेखांकन प्रणाली' पर अपलोड किया जाए। ये गुणवत्ता मॉनीटर, स्थानिक प्रयोगशालाओं की संस्थापना की जांच भी करेंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रयास यह किया जाना है कि प्रत्येक सड़क निर्माण का निरीक्षण, निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में, कम से कम तीन बार, राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा किया जाए। प्रत्येक निर्माण के प्रथम दो निरीक्षण, कार्य के संपादन के दौरान किए जाएं और इन निरीक्षणों के बीच तीन-तीन महीने का फासला हो तथा अंतिम निरीक्षण प्रत्येक कार्य के पूरा होने पर, यथा-शीघ्र लेकिन वरीयतन काम पूरा होने के 4 महीने के अंदर किया जाए। राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) ने वर्ष 2016–17 के दौरान (मार्च, 2017 तक) 34,759 के मुकाबले कुल 31,545 निरीक्षण किए जो कि लक्ष्य का 90.75 प्रतिशत है। चालू एवं पूरे किए गए निर्माण कार्यों, अनुरक्षण कार्यों तथा पुलों को मिलाकर किए गए निरीक्षणों का पूरा व्यौरा आगे दिया जा रहा है—



- v) गुणवत्ता तंत्र का तीसरा चरण, केन्द्रीय स्तर पर संचालित होने वाला स्वतंत्र मॉनीटरिंग तंत्र है। तीसरे स्तर के गुणवत्ता तंत्र उद्देश्य यह है कि राज्यों द्वारा किए गए सड़क कार्यों की गुणवत्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटर किया जाए कि कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सड़क निर्माण कार्य मानकों पर खरे उतरें; साथ ही इसका उद्देश्य यह देखना भी है कि राज्यों में काम कर रहा गुणवत्ता आश्वासन तंत्र प्रभावी ढंग से काम करे। इस स्तर की भूमिका यह है कि गलतियां ढूँढ़ने की बजाय, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और स्थानिक अभियंताओं को मार्ग-दर्शन दिया जाए। सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंता जिन्हें राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर कहा जाता है, सड़क कार्यों के निरीक्षण हेतु काम पर रखे जाते हैं। निरीक्षण हेतु निर्माण कार्यों का चयन यादृच्छिक रूप



से किया जाता है। इस स्तर पर मूलभूत उद्देश्य यह होता है कि राज्य के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र में सामने आने वाले पद्धतिगत मुद्दों की पहचान की जाए और विनिर्देशों एवं स्वस्थ निर्माण व्यवहारों की बेहतर समझ के संबंध में फील्ड स्टॉफ को मौके पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) ने वर्ष 2016-17 के दौरान (मार्च, 2017 तक) कुल 7634 निरीक्षण किए। चालू एवं पूरे किए गए निर्माण कार्यों, अनुरक्षण कार्यों तथा पुलों को मिलाकर किए गए निरीक्षणों का पूरा व्यौरा आगे दिया जा रहा है—



- vi) राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्माण कार्य के स्थानिक निरीक्षणों के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा 'संतोषजनक' लेकिन सुधार की आवश्यकता' और 'असंतोषजनक' के रूप में वर्गीकृत किए गए निर्माण कार्यों के संबंध में 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' भेजें। की गई कार्रवाई की इन रिपोर्टों पर आगे एनआरआरडीए में काम किया जाता है और श्रेणी में सुधार के बारे में निर्णय, सड़क निर्माण के फोटोग्राफ और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की सिफारिश सहित दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर लिया जाता है।
- vii) वर्ष 2016-17 (मार्च, 2017 तक) की अवधि में 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' की स्थिति नीचे दी गई है—


वर्ष	'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (जिन पर काम एनआरआरडीए में किया गया)	स्वीकृत	जिनमें स्पष्टीकरण / सत्यापन की आवश्यकता थी
2016-17	1949	1775	174



## 6. गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के तीसरे स्तर का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2016–17 के दौरान (अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक) नए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को पैनल में शामिल किया गया। यह काम, इसी प्रयोजन के लिए अपर सचिव (ग्रामीण विकास) की अधिक्षता में और प्रतिष्ठित संस्थानों, संगठनों के पेशेवर सदस्यों को लेकर गठित की गई स्वतंत्र चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया।

**गुणवत्ता मॉनीटरों की संख्या में बढ़ोत्तरी—तीसरे स्तर के अंतर्गत**



स्रोत: [www.omms.nic.in](http://www.omms.nic.in)

### राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों की संख्या में आवधिक बढ़ोत्तरी दर्शाने वाला ग्राफ

18 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कुल सक्रिय एनक्यूएम की संख्या 108 थी। वित्त वर्ष 2016–17 में 43 एनक्यूएम (29+14) को पैनल से बाहर कर दिया गया जिनमें अल्प कार्य-निष्पादन और आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण हटाए गए एनक्यूएम शामिल हैं जबकि 37 (16+21) नए एनक्यूएम को पैनल में शामिल किया गया। (17 अप्रैल, 2017 की एससीएम के अनुसार)

### राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का नामिकायन

#### (i) चयन समिति की 18 मार्च, 2016 को आयोजित 19वीं बैठक

उम्मीदवारों के कार्य-अनुभव विवरणों की संवीक्षा के बाद समिति ने 25 उम्मीदवारों की सिफारिश की। समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के रूप में काम संभाल लिया है।

#### (ii) चयन समिति की 10 नवम्बर, 2016 को आयोजित 20वीं बैठक

उम्मीदवारों के कार्य-अनुभव विवरणों की संवीक्षा के बाद समिति ने 13 उम्मीदवारों की सिफारिश की। समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् इन 16 उम्मीदवारों ने और पिछली चयन समिति द्वारा संस्तुत किए गए 3 उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के रूप में काम संभाल लिया है।



### वर्तमान राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

वर्तमान राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति मौजूद है। कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति वर्तमान राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के कार्य-निष्पादन के बारे में अपनी अभ्युक्तियां देती है। ये अभ्युक्तियां चयन समिति के समक्ष रखी जाती हैं जिसे इन पर अपनी सिफारिशें देनी होती है। वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति की दो बैठकें हुईं।



**क)** कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति की

12वीं बैठक 29 से 31 अगस्त, 2016 को आयोजित की गई जिसमें 56 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। उनमें से 3 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम उत्कृष्ट पाया गया, 27 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम संतोषजनक पाया गया, 8 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम साधारण पाया गया, दूसरी बार भी 2 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम साधारण पाया गया और 16 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम दूसरी बार भी असंतोषजनक पाया गया।

इसके परिणाम-स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि कुल 18 (2+16) राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को पैनल से हटा दिया जाए।



**ख)** 13वीं कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति की 27 से 28 मार्च, 2017 को आयोजित की गई जिसमें 15 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। उनमें से 2 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम उत्कृष्ट पाया गया, 7 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम संतोषजनक पाया गया, 2 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम साधारण पाया गया, और 4 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का काम असंतोषजनक पाया गया।

इसके परिणाम-स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि कुल 4 राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को पैनल से हटा दिया जाए।

## 7. मॉनीटरिंग

### 7.1 ऑन लाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएस)

प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना के संबंध में ऑनलाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा लेखांकन प्रणाली (ओमास) काम कर रही है जिसका उद्देश्य समस्त कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से मॉनीटर करने तथा



इसके कार्यान्वयन में अधिक से अधिक दक्षता, जिम्मेवारी तथा पारदर्शिता लाने का है। ऑनलाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा लेखांकन प्रणाली में प्रधान मंत्री ग्राम सङ्करण योजना के कार्यान्वयन की आयोजना, अनुक्रमण, मॉनीटरिंग, अनुसरण (ट्रैकिंग) तथा कार्य-निष्पादन की प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं का समाधान सुगम बनाया गया है। 'ओमास' का अभिप्राय विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों, गुणवत्ता मॉनीटरों, जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों, एनआरआरडीए तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अपेक्षाओं की पूर्ति का है।


'ओमास' अनुप्रयोग की अवधि के साथ—साथ इसके उपयोग पर विचार करते हुए तथा प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं जिनमें प्रचालनों के स्तर पर बदलाव भी शामिल हैं, के आधार पर तथा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में घटित नवीनतम विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए 'ओमास' को समय—समय पर पुनः—संरचित तथा पुनः—विकसित किया जाता है।

### 'ओमास 2' की विशेषताएं

- **व्यापक डिजाइन**— विभिन्न किस्म की निधियों (कार्यक्रम निधि, प्रशासनिक खर्च निधि, अनुरक्षण निधि) का लेखा—जोखा रखने के लिए व्यापक डिजाइन। इसमें रोकड़ बही एजेंसी—वार तथा स्ट्रीम—वार रखी जा सकती है। इस प्रणाली को वैसी ही अन्य योजनाओं के लेखों के रख—रखाव के लिए आसानी से लागू किया जा सकता है।
- **होम पेज का विस्तार**— प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना की विहंगम तसवीर 'ओमास' के होम पेज पर दर्शाई गई है जिसमें इस योजना के अंतर्गत दी गई स्वीकृति, वास्तविक प्रगति और वित्तीय व्यय की स्थिति देखी जा सकती है।
- **अधिकार—प्राप्त समिति के लिए ब्रीफ**— डिजिटल इंडिया के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से, अधिकार—प्राप्त समिति हेतु वैब—आधारित ब्रीफ 'ओमास' के माध्यम से तैयार किया जाता है जिसमें इस योजना के अंतर्गत दी गई स्वीकृति, वास्तविक प्रगति, वित्तीय प्रगति, गुणवत्ता निरीक्षण के साथ—साथ वर्तमान प्रस्तावों की सङ्केत—वार स्थिति देखी जा सकती है।
- **'ओमास' में ई—भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन**— 'ओमास' का ई—भुगतान मॉड्यूल जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे संविदाकार को भुगतान, सुरक्षित तरीके से बाधा—रहित ढंग से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकें। इस प्रणाली में एक बार भुगतान का ब्यौरा दर्ज कर दिया जाने और उसे अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ई—भुगतान का निर्देश सीधे ही प्रत्यायित बैंक को एक सुरक्षित प्रारूप में चला जाता है और बैंक उस राशि को तत्क्षण ही, उस निर्देश के आधार पर संविदाकार के खाते में अंतरित कर सकता है।
- **'ओमास' में डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली का कार्यान्वयन**— अधिक विश्वसनीय एवं दक्ष विधि से बैंक को भुगतान की सूचना भेजे जाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की दृष्टि से ओमास पर अपलोड किए गए डेटा की प्रामाणिकता मजबूत बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ई—भुगतान मॉड्यूल में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग किया जाए और इसका इस्तेमाल राज्यों द्वारा ओमास के ई—भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जाए।



- **उपयोग प्रमाणपत्र तैयार करना—** राज्यों के राजकोश में निधि जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की दृष्टि से उपयोग प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है जो कि एसआरआरडीए के तुलना-पत्र पर आधारित होता है।
- **गुणवत्ता प्रबोधन मोबाइल अनुप्रयोग की सुविधा—** यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मॉनीटरों के साथ-साथ सभी राज्यों के राज्य-स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटरों के लिए लंबे स्पान वाले पुलों के निरीक्षण की दृष्टि से उपलब्ध कराई गई है।
- **भूमिका पर आधारित डैशबोर्ड—** ‘ओमास’ में प्रयोक्ता के लिए, उसकी भूमिका के आधार पर पठनीय तथा सरलता से विश्लेषित किए जा सकने वाले प्रपत्र में मॉड्यूलवार डाटा प्रस्तुत करने की सुविधा है।
- **सरल प्रचलन के साथ एक ही पृष्ठ पर कार्य—प्रचालकता—** प्रचालन में सरलता की दृष्टि से सभी माड्यूलों की संरचना इस प्रकार की गई है कि एक ही पेज के अंदर सभी अपेक्षित व्यौरे उपलब्ध हो जाएं। अन्य रिकॉर्डों के ब्यौरे देखने के लिए पेज से हटने की आवश्यकता नहीं होती है। निर्दिष्ट भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों के अनुसार प्रयोक्ता के लिए मेन्यू उपलब्ध रहते हैं जिससे कि वह एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में आसानी से आ-जा सके।



एक केन्द्रीय वैबसाइट भी विकसित की गई है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ब्यौरे, दिशा-निर्देश, शामिल एजेंसियां, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व आदि की जानकारी दी जाती है। इस वैबसाइट का पता है— [www.pmgsy.nic.in](http://www.pmgsy.nic.in).



## 7.2 समीक्षा बैठकें

राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए 09 समीक्षा बैठकें क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई थीं जिनमें सभी राज्यों को कवर किया गया। इन समीक्षा बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्कर विकास एजेंसी और राज्यों/राज्य ग्रामीण सङ्कर विकास एजेंसियों के अधिकारी आदि शामिल हुए। बैठक के दूसरे दिन कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों, राज्य गुणवत्ता



मॉनीटरों, प्रधान तकनीकी एजेंसियों सहित राज्य तकनीकी एजेंसियों को भी राज्य-विशिष्ट तकनीकी परिचर्चाओं के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है—

तारीख	स्थान	शामिल राज्य
29 और 30 जून, 2016	देहरादून	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और उत्तराखण्ड
4 और 5 जुलाई, 2016	जयपुर	गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान
18 और 19 जुलाई, 2016	बंगलुरु	आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु
28 और 29 सितम्बर, 2016	कोलकाता	बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, तथा पश्चिम बंगाल
3 और 4 नवम्बर, 2016	शिलांग	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा
5 और 6 जनवरी, 2017	लखनऊ	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
17 फरवरी, 2017	नई दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और उत्तराखण्ड
3 मार्च, 2017	नई दिल्ली	आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु
21 मार्च, 2017	नई दिल्ली	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा



### 7.3 पारदर्शिता और नागरिक प्रबोधन

#### (क) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं प्रबोधन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)

कार्यक्रम और योजनाओं के प्रभावी एवं समय-बद्ध प्रबोधन के लिए और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नागरिकों के साथ दोनों ओर से संप्रेशण को मजबूत करने की दृष्टि से सरकार का महत्वपूर्ण औजार है— केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं प्रबोधन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। इस प्रणाली तक पहुंच के लिए पोर्टल का पता है—<http://pgportal.gov.in>

ग्रामीण विकास मंत्रालय से सीपीजी आएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी में की जाती है और ये शिकायतें, संबंधित राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों को, उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए अग्रेशित कर दी जाती हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायतों का निस्तारण समय-बद्ध तरीके से, गुणवत्ता पहलुओं से समझौता किए बिना हो सके। कार्यक्रमों/योजनाओं तथा प्रशासनिक कार्य-कलापों से जुड़ी अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग करने वाले नागरिकों का स्वागत है।



अभी तक (31.03.2016 तक) सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से कुल 871 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 798 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। लंबित 73 शिकायतें, त्वरित कार्रवाई के लिए पहले ही संबंधित राज्यों को भेजी जा चुकी हैं।

#### (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के बारे में नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन 'मेरी सड़क'

ई—प्रशासन और डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 20 जुलाई, 2015 को 'मेरी सड़क' नामक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। मोबाइल एप्लीकेशन से नागरिकों को यह सुविधा मिली है कि वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के बारे में अपना फीडबैक / शिकायतें दर्ज करा सकें और ऑन लाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएस) जो कि इस कार्यक्रम का प्रमुख प्रबोधन साधन है, में भू—स्थैतिक सूचना—युक्त फोटोग्राफ अपलोड कर सकें। मोबाइल एप्लीकेशन 'मेरी सड़क' को गूगल प्ले स्टोर से और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्यक्रम वैबसाइट [omms.nic.in](http://omms.nic.in) से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।



फीडबैक / शिकायत को सफलतापूर्वक दर्ज कराने के बाद नागरिक को एक विशिष्ट फीडबैक संख्या अपने मोबाइल पर प्राप्त होगी जिससे वे अपनी शिकायत के समाधान की स्थिति का प्रबोधन स्वयं कर सकते हैं। संबंधित राज्यों के राज्य गुणवत्ता समन्वयकों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त होने वाले फीडबैक / शिकायतों को संभालने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत / फीडबैक प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर नागरिकों को अंतरिम उत्तर दे दिया जाता है और मामले पर अंतिम कार्रवाई 60 दिन की अवधि के अंदर कर दी जाती है।

2016–17 की अवधि (अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017) के दौरान, 'मेरी सङ्क' मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 51,348 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में से 15,224 शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं और 36,124 शिकायतें विभिन्न कारणों जैसे कि— सङ्क कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना में शामिल न होने और पूरी जानकारी नामतः सङ्क, ब्लॉक, जिले का नाम आदि उपलब्ध न होने से अस्वीकृत कर दी गईं। कुल 15,224 शिकायतों में से 15,223 का उत्तर भेज चुके हैं और बची हुई 01 शिकायत का अन्तरिम उत्तर दे दिया गया हैं।

#### (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना सङ्कों की नागरिक मॉनीटरिंग

'प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सङ्कों की नागरिक मॉनीटरिंग' के बारे में अध्ययन परियोजना का कार्य बंगलुरु आधारित गैर-सरकारी संगठन—'पब्लिक अफेयर्स सेंटर' को सौंपा गया था जिसमें उनकी सहायता एनआरआरडीए और एसआरआरडीए को करनी थी। परियोजना का प्रथम चरण जिसमें झारखंड, मेघालय और राजस्थान—तीन राज्य शामिल थे, 2014–15 में पूरा कर लिया गया। परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2015–16 में शुरू किया गया।

#### लक्ष्य

1. टूल किट तैयार करना, परीक्षण करना और सत्यापन करना; डेटा संग्रहण उपस्कर तैयार करना, उन्हें सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के अनुकूल बनाना, परीक्षण करना और सत्यापन करना; नागरिक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना। प्रोटोटाइप, एवी / आईईसी सामग्री विकसित करना। नागरिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण परिणामों को अधिकतम स्तर तक ले जाना।
2. जीपीएस साधित डिजिटल सीआरएस तैयार करना और 'ओमास' के साथ उसका ताल—मेल बिठाना जिससे कि नागरिक प्रबोधन प्रक्रिया को बढ़ावा / मजबूती मिल सके।
3. ऐसी 'आदर्श नागरिक प्रबोधन प्रक्रिया / प्रविधि तैयार करना, परीक्षण करना और उसका सत्यापन करना जिसका अनुकरण / अंगीकरण प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के कार्यान्वयन में किया जा सके।
4. प्रत्येक राज्य में दक्ष प्रशिक्षकों की टीम तैयार करना जिससे कि संबंधित राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना का नागरिक प्रबोधन सुगम हो सके।



यह परियोजना सात राज्यों नामतः असम, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखण्ड में राज्य स्तरीय सहभागी संगठनों की सहायता से एनआरआरडीए एवं एसआरआरडीए के साथ मिलकर पीएसी ने कार्यान्वयन की थी। सात राज्यों में से प्रत्येक राज्य से 20 सङ्कों (जिन पर काम चालू हो, ऐसी 10 सङ्कों और पूरी हो चुकी 10 सङ्कों सहित) परियोजना के अंतर्गत शामिल की गई तथा कुल 14 जिले (प्रत्येक राज्य से 2-2 जिले) अभिनिर्धारित किए गए।

कुल मिलाकर 420 नागरिक स्वयंसेवकों और 42 दक्ष प्रशिक्षकों को इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया।

#### प्रमुख प्राप्य :

1. नवीकृत टूल किट, तारीख कैचर करने वाले और विष्लेशण करने वाले टूल।
2. शैक्षिक वृत्तचित्र
3. प्रोटोटाइप मॉडल
4. आईईसी पोस्टर ग्रामीण नागरिक के लिए
5. नागरिक प्रबोधन हैंडबुक
6. नए सिरे से सुदृढ़ किए गए सुलभ नागरिक स्वयंसेवी प्रशिक्षण मॉड्यूल।
7. स्वयंसेवकों की कार्यशालाएं जिनमें 420 नागरिक स्वयंसेवक, 21 राज्य स्तरीय पीओ कार्मिक तथा 14 एसआईआरडी कार्मिक प्रशिक्षित किए गए।
8. प्रत्येक राज्य में छह दक्ष प्रशिक्षक (कुल मिलाकर 42)
9. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना ग्राम सभाएं (कम से कम 140) जिनमें ग्रामीण नागरिकों को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना सङ्कों के बारे में पूरे अधिकार-प्राप्त हैं।
10. रिपोर्ट
  - क. स्वयंसेवक प्रशिक्षण समापन रिपोर्ट
  - ख. प्रथम चक्र की संपरीक्षा रिपोर्ट
  - ग. आदर्श प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना नागरिक प्रबोधन प्रक्रिया सहित अंतिम रिपोर्ट (राज्य स्तरीय परामर्श के बाद)।

परियोजना की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और परियोजना में शामिल सभी सातों राज्यों के साथ इस रिपोर्ट को साझा करते हुए अनुरोध किया गया है कि वे नागरिक स्वयंसेवकों द्वारा सङ्कों के प्रबोधन की प्रणाली अंगीकार करें।

#### 7.4 गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक को संशोधन

गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक का वर्तमान संस्करण दो भागों में है। पहले भाग में गुणवत्ता प्रबंधन



प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षाएं शामिल हैं और दूसरे भाग में परीक्षण उपस्कर तथा परीक्षण पद्धतियां शामिल हैं। यह हैंडबुक भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा वर्ष 2004 में ग्रामीण सड़कों के संबंध में प्रकाशित ग्रामीण विकास मंत्रालय विनिर्देशों के अनुक्रम में मई, 2007 में प्रकाशित की गई थी। ग्रामीण सड़कों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के विनिर्देशों जिनसे कि गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक के प्रावधान लिए गए हैं, अब संशोधित कर दी गई है और संशोधित संस्करण का प्रकाशन जनवरी, 2014 में हो चुका है। विनिर्देशों के संबंध में अनेक नई मदें ग्रामीण विकास मंत्रालय के विनिर्देशों के संशोधित संस्करण में जोड़ दी गई हैं और ये बातें गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक में शामिल की जानी हैं।



इसके अलावा एनआरआरडीए ने कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक युक्त बिटूमिन, स्टेबिलाइज्ड सब-बेस, फ्लाई ऐश के प्रयोग और परावर्तक सड़क चिह्नांकनों आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन प्रौद्योगिकियों पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़कों की डीपीआर तैयार किए जाने और इनके निर्माण में भी ये प्रौद्योगिकियां रच-बस जाएं। साथ ही यह जरूरत भी महसूस की गई है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में पुलों की संस्थापना को देखते हुए पुलों के बारे में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों और प्रक्रियाओं के संबंध में अलग से एक अध्याय शामिल किया जाए।

इन परिवर्तनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक के भाग—। और भाग—॥ की समीक्षा की जाए और एनआरआरडीए द्वारा ग्रामीण सड़कों के संबंध में जारी किए गए वर्तमान विनिर्देशों तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक को अद्यतन बनाया जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक-सड़क (सेवानिवृत्त) श्री एस.सी. शर्मा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में एक पीयर ग्रुप गठित किया गया। विशेषज्ञ समूह और पीयर ग्रुप में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल हैं और इन्हें गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक के दोनों भागों के संशोधन का काम सौंपा गया है। गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक की मसौदे के संशोधन का काम अक्टूबर, 2016 तक पूरा हो जाने की संभावना है और इसका अंतिम संस्करण दिसंबर, 2016 तक जारी कर दिया जाएगा।

## 7.5 'ओमास' के माध्यम से गुणवत्ता प्रबोधन प्रणाली में की गई नई पहल

1. 'ओमास' के माध्यम से उन संविदाकारों की निरीक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना जिनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा एक बार भी न किया गया हो।



2. 'ओमास' में ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा कैचर किया जा सके।
3. 'ओमास' में भू-रथैतिक संदर्भ के साथ स्थानिक प्रयोगशालाओं का विवरण शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया है।
4. 'ओमास' में राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को मासिक आधार पर ऑनलाइन भुगतान किए जाने की प्रणाली विकसित की जा रही है।



### 8. अनुसंधान और विकास

- 8.1 नई सामग्री/अपशिष्ट सामग्री/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री आदि को प्रयोग में लाते हुए ग्रामीण सङ्कों के निर्माण में लागत प्रभावी, स्थानीय रूप से संगत, हरित एवं तीव्र निर्माण को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के आशय से राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी ने मई, 2013 में 'प्रौद्योगिकी पहल संबंधी दिशा-निर्देश' जारी किए थे। राज्यों से कहा गया है कि वे केवल नई प्रौद्योगिकी जिसके लिए भारतीय सङ्क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देश पहले से उपलब्ध हैं, को प्रयोग में लाते हुए वार्षिक प्रस्तावों की कम से कम 10% लम्बाई प्रस्तावित करें तथा वार्षिक प्रस्तावों की 5% अतिरिक्त लम्बाई किसी भी नई प्रौद्योगिकी, जिसके लिए भारतीय सङ्क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देश जिनमें आईआरसी द्वारा मान्य सामग्री शामिल है, उपलब्ध नहीं है, को प्रयोग में लाने वाले प्रस्ताव प्रस्तावित करें। इन दिशानिर्देशों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) के परामर्श से सङ्कों एवं उनमें प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का अभिनिर्धारण।
2. नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से तैयार सङ्कों का अन्य पक्ष द्वारा कम से कम 18 महीने की अवधि तक निष्पादन मूल्यांकन किया जाना।
3. विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने के संबंध में राज्यों तथा राज्य तकनीकी एजेंसियों के



अधिकारियों को केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली तथा अन्य प्रधान तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) द्वारा प्रशिक्षण।

4. द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में क्षमता निर्माण।
5. जीआईएस प्लेटफार्म पर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री को चिन्हित करना।
6. निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन करना।
7. नई प्रौद्योगिकियों के लिए मैनुअल और पुस्तिकाएं तैयार करना।
8. नई प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने वालों को पुरस्कृत करने की प्रणाली लागू करना।



**8.1.1** नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनआरआरडीए द्वारा पूर्व में निम्नलिखित पहलें की गई हैं—

- (i) राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि नियमित प्रस्तावों के साथ वे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं भी प्रस्तुत करें। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करके उन्हें तकनीकी प्रदर्शन के लिए अधिकार—प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- (ii) पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों और अपारंपरिक सामग्री के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के बाद, कचरा प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी जैसी आईआरसी अनुमोदित प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से मंत्रालय ने मई, 2013 में पहले ही जारी किए जा चुके अपने दिशा—निर्देशों के अलावा 18 मई, 2016 के परिपत्र



संख्या पी—10021 / 2 / 2007—तकनीकी के तहत राज्यों के बीच 13,839 किमी का वार्षिक लक्ष्य तय कर दिया है। (**अनुलग्नक-X**) ये प्रौद्योगिकियां पर्यावरण अनुकूल हैं और या तो इनके लिए अतिरिक्त लागत की आवश्यकता होती नहीं या फिर संस्थीकृत लागत से परे बहुत कम अतिरिक्त लागत की जरूरत होती है। इन प्रौद्योगिकियों के संबंध में अतिरिक्त लागत या बचत के लिए दिशा—निर्देश 13 नवम्बर, 2015 के समसंब्यक पत्र में उल्लिखित हैं।

- (iii) पहले ही मंजूर किए जा चुके प्रस्तावों के संबंध में पारम्परिक तरीकों से कचरा प्लास्टिक/कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी या किन्हीं अन्य नई प्रौद्योगिकियों में बदली के लिए राज्य एनआरआरडीए/मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से प्रस्ताव भेज सकते हैं।
- (iv) जहां सीबीआर 3 से नीचे हो वहां मृदा स्थिरीकरण तकनीकें अपनाने के लिए अनुरोध राज्यों से किया जाता है तथा राज्य तकनीकी एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि समुचित मृदा स्थिरीकरण तकनीकें प्रस्तावित की जाएं।
- (v) राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने वार्षिक प्रस्तावों में आईआरसी द्वारा मान्य किसी सामग्री/प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने वाली प्रायोगिक परियोजनाएं शामिल करें।

### 8.1.2 नई प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाएं

राज्यों को ऐसी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें जूट तथा कयर, कोल्ड एमल्शन को प्रयोग में लाते हुए कोल्ड मिक्स टेक्नॉलोजी, फ्लाई ऐश, स्टील तथा आयरन स्लेग, स्थिरीकरण एजेंट के रूप में चूने तथा सीमेन्ट का प्रयोग तथा आईआरसी द्वारा मान्य नई सामग्री प्रयोग में लाई जा रही हो। नई प्रौद्योगिकी पहलों के बारे में मंत्रालय द्वारा दिशा—निर्देश जारी किए जाने के बाद कई राज्यों से अलग—अलग नई प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने वाले प्राप्त परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान, अधिकार—प्राप्त समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा नई प्रौद्योगिकी की कुल 5,699 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिनका ब्यौरा अनुलग्नक—VII पर दिया गया है।

### 8.2 जीआईएस प्लेटफार्म पर उपान्तिक सामग्री को चिह्नित करना

जीआईएस प्लेटफार्म पर अपशिष्ट सामग्री सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री को चिह्नित करने की एक परियोजना केन्द्रीय सङ्क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को सौंपी गई है। परियोजना का वित्तपोषण एनआरआरडीए द्वारा किया जा रहा है तथा प्रारंभिक रूप से प्रायोगिक आधार पर इसे बिहार तथा मध्य प्रदेश के दो—दो जिलों में, संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से आरंभ किया गया है। केन्द्रीय सङ्क अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।



**8.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास पहल—कदमियों की समीक्षा का कार्य:** पीएमजीएसवाई के तहत वित—पोशण के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति के संबंध में और एनआरआरडीए में उनके मूल्यांकन के संबंध में दिशा—निर्देशों को, एनआरआरडीए की स्थायी सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत एसटीए/पीटीए/किसी अन्य संगठन द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने संबंधी प्रारूप और 6 महीने में प्राप्त की जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्टों के साथ—साथ अंतिम परियोजना समापन रिपोर्ट के प्रारूपों को भी उक्त स्थायी सलाहकार समिति ने अंतिम रूप दे दिया है। तदनुसार, अलग—अलग संस्थानों से अनुसंधान और विकास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस प्रयोजन से बनाई गई समिति द्वारा इनकी संवीक्षा किए जाने के बाद तीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया। अनुमोदित किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

- (i) **आईआईटी, भुबनेश्वर—** ग्रामीण सड़कों के लिए रिथरीकृत आधारों/उप—आधारों सहित पेवमेंटों का निष्पादन मूल्यांकन— परियोजना लागत: 33.60 लाख रुपए। परियोजना की अवधि 2 वर्ष की है।
- (ii) **एनआईटी, सिल्वर—** मणिपुर में ग्रामीण सड़कों में गैर—मानक स्थानीय सामग्री के प्रयोग के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन। परियोजना लागत 9.125 लाख रुपए और परियोजना की अवधि 1 वर्ष की है।
- (iii) **एनआईटी, रायपुर—** छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमजीएसवाई की कुछ चुनिंदा सड़क खंडों का निष्पादन मूल्यांकन। परियोजना लागत 41.9 लाख रुपए और परियोजना की अवधि 6 महीने की है।

**8.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में फ्लाई ऐश के प्रयोग को सुगम बनाए जाने के उपाय**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 27 जनवरी, 2016 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 300 किमी के दायरे में आने वाले कोयला एवं लिग्नाइट आधारित ताप बिजलीघरों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की परियोजनाओं और सरकार के परिसंपत्ति सृजन कार्यक्रम जिनमें भवनों, सड़कों, बांधों और तटबंधों का निर्माण शामिल है, के कार्य—स्थल तक फ्लाई ऐश की ढुलाई की पूरी लागत वहन करनी होगी।

सड़कों के निर्माण में फ्लाई ऐश के प्रयोग के बारे में जारी की गई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना, फ्लाई ऐश के निपटान की समस्या का आंशिक तौर पर समाधान कर पाने में उपयोगी होगी।

**8.5 त्वरित पेवमेंट परीक्षण के माध्यम से पेवमेंट निर्माण में वैकल्पिक सामग्री के रूप में फ्लाई ऐश के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजना**

परियोजना की कुल लागत 424.05 लाख रुपए है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का योगदान इसमें 354.05 लाख रुपए और ग्रामीण विकास मंत्रालय का योगदान 70.00 लाख रुपए है।



परियोजना की अवधि 36 महीने की है। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने परियोजना की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अनुरोध किया गया है कि अंतिम परियोजना रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2017 तक भेज दी जाए।

### **8.6 'पीएमजीएसवाई के पन्द्रह वर्ष' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसम्बर, 2000 को पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी; इसका प्रयोजन, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संयोजन उपलब्ध कराने का था। इस परियोजना में यह परिकल्पना की गई है कि मैदानी इलाकों में 500 व्यक्तियों तक की आबादी वाली और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 250 व्यक्ति और इससे अधिक आबादी वाली असंयोजित बसावटों को सड़क से जोड़ दिया जाए।

अपने आरंभ से ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक प्रमुख विशेषता रही है कि इसमें गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पन्द्रह वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधान तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों, राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों और राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों, प्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, 5 वर्ष की



गारंटी जैसी कुछ प्रमुख विशेषताएं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता के पीछे मौजूद हैं। अपनी अब तक की यात्रा पर दृष्टिपात करने के लिए और उन सब पक्षों जिन्होंने इस योजना में योगदान किया है, के साथ अनुसंधान/निर्माण के 15 वर्षों में प्राप्त अनुभव साझा करने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पन्द्रह वर्ष' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी, रुड़की में 6 और 7 अगस्त, 2016 को आयोजित किया गया।

### **9. बाह्य सहायता – प्राप्त परियोजनाएं**

#### **9.1 विश्व बैंक से सहायता – प्राप्त परियोजनाएँ:-**

##### **(i) ग्रामीण सड़क परियोजना—। (आरआरपी—।) के अंतर्गत ऋण**

विश्व बैंक ने इस योजना के अंतर्गत चार राज्यों में सड़क निर्माण कार्यों के उन्नयन और निर्माण कार्य के लिए 339.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (आरआरपी—।) की सहायता 2004 से 2012 तक दी थी। इसका विवरण नीचे तालिका—4 में दिया जा रहा है—



तालिका— 4		विश्व बैंक से सहायता—प्राप्त परियोजनाएं
राज्य		झारखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश
ऋण करार की तारीख		अक्टूबर, 2004
अंतिम तारीख		31 मार्च, 2012
ऋण राशि		399.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1,760 करोड़ रुपए)
#पीएडी के अनुसार मार्च, 2012 तक लक्ष्य		399.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
संवितरित राशि		399.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
ऋण की शर्तें		10 वर्ष का ऋण वापसी स्थगन+35 साल की पुनर्भुगतान अवधि। 300 मिलियन डॉलर के लिए ब्याज की दर शून्य प्रतिशत, 100 मिलियन डॉलर के लिए ब्याज की दर 1.53 प्रतिशत
# पीएडी— परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज		
विश्व बैंक निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का 90 प्रतिशत और परामर्शी कार्यों पर हुए व्यय के 80 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति करता है।		

**विश्व बैंक से सहायता—प्राप्त आरआरपी—। की प्रगति का विवरण नीचे  
तालिका—5 में दिया गया है—**

राज्य	संस्वीकृत परियोजना		अद्यतन प्रगति	
	राशि (करोड़ रुपए में)	लंबाई (किमी में)	व्यय मिलियन अमेरिकी डॉलर में*	लंबाई (किमी में)
हिमाचल प्रदेश	253.89	1328.33	44	1253.17 (94%)
झारखण्ड	29.15	130.07	6	125.56 (97%)
राजस्थान	1212.55	6517.53	208	6296.70 (97%)
उत्तर प्रदेश	929.65	3036.46	141	2463.37 (81%)
<b>जोड़</b>	<b>2424.89</b>	<b>11012.39</b>	<b>399</b>	<b>10,138.80</b>

\*आरआरपी—। का शेष कार्य आरआरपी—।। की निधियों में से पूरा किया जाएगा।

### (ii) ग्रामीण सङ्करण परियोजना—।। के अंतर्गत ऋण (आरआरपी—।।)

आरआरपी—।। के बारे में वार्ता विश्व बैंक के साथ कर ली गई है। यह कार्यक्रम सेक्टर—वार कार्य—पद्धति पर आधारित है। परियोजना की अवधि फरवरी, 2011 से आगे 6 वर्ष यानि अक्टूबर, 2017 तक की है। इस परियोजना में कुल दो घटक शामिल हैं:

- कार्यक्रम का वित्तपोषण—1,375 मिलियन अमेरिकी डॉलर
  - 8 राज्य— हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को शामिल किया गया है।
  - कुल 8,323 बसावटों को शामिल किया जा सकता है। 24,174 किमी लंबाई की सङ्करण बनाई जा सकती हैं।



- संस्थागत सुदृढ़ीकरण— 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर

विश्व बैंक से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर 14 जनवरी, 2011 को किए गए थे। भारत सरकार के हिस्से सहित इस परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका-6 में दिया गया है:

क्रम संख्या	राज्य	संशोधित आबंटन मिलियन अमेरिकी डॉलर	जोड़		31 मार्च, 2017 तक संस्वीकृत परियोजनाएं	
			बसावटें	लंबाई किमी में	मूल्य (करोड़ रुपए में)	लंबाई (किमी में)
1.	हिमाचल प्रदेश	112	819	2,724	762	2,238
2.	झारखण्ड	223	2,209	4,133	1,910	4,338
3.	मेघालय	100	515	1,625	810	1,113
4.	पंजाब	136	-	1,062	1,147	2,295
5.	राजस्थान	358	2,734	8,651	3,227	11,499
6.	उत्तर प्रदेश	247	1,590	2,401	1,919	4,709
7.	उत्तराखण्ड	167	0,456	3,578	1,001	2,166
8.	बिहार	244	-	-	1,655	2,292
जोड़		1,587	8,323	24,174	12,431	30,650

### 9.2 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से सहायता

प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना कार्यक्रम में असम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रामीण सङ्क सैक्टर—। तथा ग्रामीण सङ्क सैक्टर—॥ परियोजनाओं के साथ—साथ ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता, एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाती रही है। यह सहायता ग्रामीण सङ्क सैक्टर—। परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ग्रामीण सङ्क सैक्टर—॥ परियोजना के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के रूप में दी गई है।

ग्रामीण सङ्क सैक्टर—।  
परियोजना (आरआरएस—।  
परियोजना) मध्यप्रदेश एवं  
छत्तीसगढ़ में पहले ही पूरी की  
जा चुकी है।

- (i) ग्रामीण सङ्क सैक्टर—।  
परियोजना (आरआरएस—।  
पी)

ऋण संख्या—2018—आईएनडी:





ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए ग्रामीण सड़क सैकटर—। (आरआरएस। पी) के अंतर्गत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण अनुमोदित किया था। 3,207 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराते हुए कुल 9,574.7 कि.मी. लम्बी बारहमासी ग्रामीण सड़कों निर्मित की गई थीं। परियोजना जून, 2009 में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। ऋण अनुबंध की आवश्यकतानुसार परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है।

## (ii) ग्रामीण सड़क सैकटर—।। निवेश कार्यक्रम

**परियोजना—1 (ऋण संख्या 2248—आईएनडी):** एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने असम, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में उप परियोजनाओं के वित्तपोशण हेतु 'मल्टी ट्रांशे फाइनांसिंग फैसिलिटी' (एमएफएफ) के अंतर्गत 180 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक ऋण स्वीकृत किया था। इस परियोजना के अंतर्गत 1,497 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराते हुए कुल 2,507 कि.मी. लम्बी सड़कों निर्मित की गई थीं। परियोजना जून, 2009 में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। ऋण अनुबंध की आवश्यकतानुसार परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है।

**परियोजना—2 (ऋण संख्या 2414—आईएनडी):** एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने ओडिशा में बैच—।। परियोजना के लिए 'मल्टी ट्रांशे फाइनांसिंग फैसिलिटी' (एमएफएफ) के अंतर्गत 77.65 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक ऋण स्वीकृत किया था। इस परियोजना के अंतर्गत ओडिशा में 231 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करते हुए 1,013 कि.मी. लंबाई की सड़कें बनाई गई थीं। ऋण 31 दिसम्बर, 2010 को पूरा हो गया था। ऋण अनुबंध की आवश्यकतानुसार परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है।

**परियोजना—3 (ऋण संख्या 2445—आईएनडी):** असम तथा पश्चिम बंगाल में बैच—।। की उप परियोजना के वित्तपोशण हेतु 'मल्टी ट्रांशे फाइनांसिंग फैसिलिटी' (एमएफएफ) के अंतर्गत 130 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण लिया गया। एडीबी ने यह ऋण 5 जनवरी, 2009 से लागू किया था। इस परियोजना के अंतर्गत असम में 985 कि.मी लंबाई की सड़कें बनाकर 607 बसावटों को, तथा पश्चिम बंगाल में 843 कि.मी लंबाई की सड़कें बनाकर 718 बसावटों को सड़क संयोजन उपलब्ध कराया जाना है। यह ऋण 30 जून, 2013 को पूरा हो गया।

**परियोजना—4 (ऋण संख्या 2535) :** असम, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में बैच—।।। की उप—परियोजनाओं के वित्तपोशण हेतु 'मल्टीट्रांशे वित्तपोशण सुविधा' के अंतर्गत 185 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण लिया गया था। एडीबी ने यह ऋण 26 नवम्बर, 2009 से लागू किया। इस परियोजना के अंतर्गत असम में 871 कि.मी. लंबाई में सड़कें बनाकर 397 बसावटों को, ओडिशा में 1,287 कि.मी. लंबाई में सड़कें बनाकर 517 बसावटों को तथा पश्चिम बंगाल में 660 कि.मी. लंबाई में सड़कें बनाकर 704 बसावटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। यह ऋण, 31 दिसम्बर, 2012 को पूरा हो गया।

**परियोजना—5 (ऋण संख्या 2651):** ओडिशा में बैच IV, मध्य प्रदेश में बैच V, पश्चिम बंगाल में बैच III (लॉट II) तथा छत्तीसगढ़ में बैच IV की उप—परियोजनाओं के वित्तपोशण हेतु 'मल्टीट्रांशे



‘वित्तपोशण सुविधा’ के अंतर्गत 222.22 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण लिया गया था। यह ऋण 29 अक्टूबर, 2010 से लागू किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 325 कि.मी. लंबाई में सड़कें बनाकर 142 बसावटों को, मध्य प्रदेश में 2,535 कि.मी. लंबाई में सड़कें बनाकर 895 बसावटों को, ओडिशा में 1,512 कि.मी. लंबाई में सड़कें बनाकर 428 बसावटों को तथा पश्चिम बंगाल में 443 कि.मी. लंबाई में सड़कें बनाकर 257 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाना है। यह ऋण 30 जून, 2014 को पूरा हो गया।

### (iii) ग्रामीण सड़क—संयोजन निवेश कार्यक्रम (आरसीआईपी):

800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ‘मल्टीट्रांश वित्तपोशण सुविधा’ (एमएफएफ) के संबंध में एशियाई विकास बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा 17 मई, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। निवेश कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता ‘मल्टी ट्रांश वित्तपोशण सुविधा’ के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 9000 कि.मी. बारहमासी सड़कों का निर्माण अथवा उन्नयन करके असम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 4200 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्थानिक व्यवस्थाओं, व्यवसायिक प्रक्रियाओं तथा सम्बद्ध क्षमता निर्माण, विशेषकर डिजाइन, प्रचालन, सुरक्षा—उपाय, वित्तीय, सड़क सुरक्षा तथा परिसंपत्ति प्रबंधन मामलों के सुधार पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

निवेश कार्यक्रम की वित्तपोषण योजना नीचे दी जा रही है—

क्रम संख्या	स्रोत	राशि
1	एशियाई विकास बैंक	800 मिलियन अमेरिकी डॉलर
2	भारत और राज्य	404.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर
	योग	<b>1204.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर</b>

‘मल्टी ट्रांश वित्तपोशण सुविधा’ (एमएफएफ) के अंतर्गत चार परियोजना अवधियों के लिए वित्तपोशण किया जाएगा; इन चार परियोजनाओं को तीन परियोजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया है और इस परिवर्तन के लिए तकनीकी सहायता परामर्शदाता की सेवाओं सहित परामर्शी सेवाओं की दीर्घ—कालिक संविदाओं में काट—छांट की गई है। इस कार्य में ग्रामीण सड़क संयोजन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्रों (आरसीटीआरसी) के परामर्शदाताओं की सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा।

पहली और परवर्ती ट्रांशों की तयशुदा राशि और समय—सारणी नीचे दी गई है:

वित्तपोशण	ट्रांशो 1 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांशो 2 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांशो 3 (मिलियन अमरीकी डालर)
एडीबी	252	275	273
सरकार	89	81.56	233.88
<b>योग</b>	<b>341</b>	<b>356.56</b>	<b>506.88</b>



## ग्रामीण सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन में सांस्थानिक विकास हेतु तकनीकी सहायता (टीए-8110:आईएनडी)

एशियाई विकास बैंक ने ग्रामीण सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन में सांस्थानिक विकास हेतु भारत सरकार को तकनीकी सहायता के प्रावधान का अनुमोदन किया था जिसकी राशि 2.3 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर से अधिक नहीं होनी थी। तकनीकी सहायता का वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाएगा:- सरकार तथा एशियाई विकास बैंक के मध्य तकनीकी सहायता रूप-रेखा करार जिस पर 10 जुलाई, 1996 को हस्ताक्षर किए गए। रूप-रेखा करार तथा तकनीकी सहायता दिसम्बर, 2012 से शुरू 30 महीने की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। तकनीकी सहायता पूरी तरह से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।

**ग्रामीण सड़क संयोजन निवेश कार्यक्रम में सांस्थानिक विकास घटक भी भागीदार है; इस घटक में निम्नलिखित का समावेश किया गया है :**

- स्थानिक कार्यालयों (इनमें प्रायोगिक ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाइयों (आरआरएनएमयू) के प्रकार्यों का संचालन करने के लिए अपेक्षित प्रयोगशालाएं तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं) का निर्माण करना तथा ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपस्कर, प्रणालियां एवं उपकरण उपलब्ध कराना। दूसरे वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में एक आरआरएनएमयू सुविधा निर्मित कर ली जाएगी तथा निवेश कार्यक्रम के चौथे वर्ष तक प्रत्येक राज्य में ऐसी पांच-पांच अर्थात् कुल मिलाकर लगभग 25 सुविधाएं निर्मित कर ली जाएंगी।
- प्रत्येक राज्य में 5 ग्रामीण सड़क संयोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र (आरसीटीआरसी) निर्मित एवं सुसज्जित करना।
- स्थापित किए गए ग्रामीण सड़क संयोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों द्वारा सम्बद्ध परामर्शी सेवाओं की सहायता से व्यवस्थित रूप से एवं बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण तथा लक्षित ग्रामीण सड़क अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए जाना।
- आरआरएनएमयू तथा आरसीटीआरसी के भवनों के निर्माण हेतु असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भवनों के वास्तु-शिल्पीय रेखा-चित्रों को अंतिम रूप दे दिया है। संबंधित राज्यों द्वारा लागत प्राक्कलन तैयार कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरआरएनएमयू तथा आरसीटीआरसी के भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। आरआरएनएमयू तथा आरसीटीआरसी के भवनों के निर्माण का काम 31 दिसंबर, 2017 तक पूरा हो जाएगा।

### (iv) ऋण संख्या 2881—आईएनडी (ट्रांशे 1)

ग्रामीण सड़क संयोजन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रांशे 1 के लिए 252.00 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पर 02 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर हो चुके हैं और यह 5 जून, 2013 से प्रभावी हो



गया है। इस ऋण के अंतर्गत कम से कम 500 व्यक्तियों (पहाड़ी एवं मरुस्थली क्षेत्र में 250 अथवा इससे अधिक) की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को सङ्क संयोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उप परियोजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग 3461 कि.मी. (लगभग 342 कि.मी. असम में, 1008 कि.मी. छत्तीसगढ़ में, 1187 कि.मी. मध्य प्रदेश में, 757 कि.मी. ओडिशा में तथा 167 कि.मी. पश्चिम बंगाल में) सङ्कों बनाई जाएंगी। इन राज्यों में उप परियोजना का प्राप्ति कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 355 कि.मी के लिए ट्रांशो 3 के 55 पैकेज, ट्रांशो 1 में जोड़ दिए गए हैं और एशियाई विकास बैंक ने 2 वर्ष का समय—विस्तार स्वीकृत कर दिया है। यह परियोजना, 31 दिसंबर, 2017 को पूरी हो जाएगी।

#### (v) ऋण संख्या 3065—आईएनडी (ट्रांशो 2)

275.00 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण जिसमें ग्रामीण सङ्क संयोजन तथा सांस्थानिक विकास का घटक शामिल है, पर हस्ताक्षर 8 नवम्बर, 2013 को किए गए तथा वह 31 मार्च, 2014 से प्रभावी है। इस घटक के अंतर्गत वे ग्रामीण सङ्कों आती हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना में 500 व्यक्तियों (पहाड़ी एवं मरुस्थली क्षेत्र में, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में 250 अथवा इससे अधिक) या इससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी सङ्क संयोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से बनाई जानी हैं। इस ऋण के अंतर्गत कुल लगभग 3692.80 कि.मी लंबाई की उप—परियोजनाएं (असम में 495.56 कि.मी, छत्तीसगढ़ में 429.06 कि.मी, मध्य प्रदेश में 654.04 कि.मी, ओडिशा में 1184.06 कि.मी और पश्चिम बंगाल में 930.08 कि.मी) वित्तपोषित की जानी हैं।

उपकरणों और फुटकर खर्च के घटकों में बचत के कारण हमने 15.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली 173.80 कि.मी लंबाई की 39 सङ्कों को ट्रांशो 3 से हटाकर ट्रांशो 2 (ऋण संख्या 3065—आईएनडी) में जोड़े जाने का प्रस्ताव किया है क्योंकि इन सङ्कों को ट्रांशो 3 में समायोजित नहीं किया जा सका। यह प्रस्ताव एशियाई विकास बैंक ने अनुमोदित कर दिया है। 39 सङ्कों को ट्रांशो 2 में जोड़ दिया गया है।

#### (vi) ऋण संख्या 3306—आईएनडी (ट्रांशो 3)

273.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के ऋण जिसमें ग्रामीण सङ्क संयोजन और सांस्थानिक विकास के घटक शामिल हैं, पर हस्ताक्षर 6 नवम्बर, 2015 को किए गए और यह ऋण 29 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी है। ट्रांशो 3 में उन ग्रामीण सङ्कों का निर्माण किया जाना शामिल है जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के हिस्से के रूप में 500 व्यक्तियों (पहाड़ी, मरुस्थली एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 अथवा इससे अधिक) या इससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी सङ्क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए बनाई जानी हैं। उपयोजनाओं में कुल मिलाकर 6,127.66 कि.मी की सङ्क लंबाई सम्मिलित होगी (जिसमें से लगभग 486.984 कि.मी. असम में, 1055.94 कि.मी. छत्तीसगढ़ में, 1381.36 कि.मी. मध्य प्रदेश में, 2565.81 कि.मी. ओडिशा में, तथा 637.574 कि.मी. पश्चिम बंगाल में होगी)। ऋण पूरा होने की अंतिम तारीख 30 जून, 2018 की है।



## ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम (अनुपूरक)

500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश के द्वितीय कार्यक्रम (अनुपूरक) का उद्देश्य असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में बारहमासी सङ्क संयोजन के लिए अभी तक असंयोजित पात्र बसावटों को सङ्क संयोजन उपलब्ध कराने हेतु 13,000 कि.मी बारहमासी ग्रामीण सङ्कों का निर्माण अथवा उन्नयन करने तथा पहले से निर्मित सङ्कों का उन्नयन कर उन्हें बारहमासी सङ्क संपर्क के योग्य बनाने का है।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना के एक हिस्से को सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार, ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त वित्त व्यवस्था कराने पर विचार कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले बड़ी जनसंख्या वाली बसावटों को अग्रता देने तथा धीरे-धीरे अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाली बसावटों को सम्मिलित करने हेतु एक कार्यनीति मानक स्थापित किया है।

एशियाई विकास बैंक, ग्रामीण सङ्क संयोजन कार्यक्रम के तहत असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सङ्कों के निर्माण के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्रस्तावित द्वितीय ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम, ग्रामीण सङ्क सैक्टर—। परियोजना और ग्रामीण सङ्क सैक्टर—॥ निवेश कार्यक्रम के सातत्य में है; यह ऋण 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का होगा जो कि ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम का अनुपूरक होगा।

500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम (अनुपूरक) के लिए प्रस्ताव एवं संकल्पना दस्तावेज माननीय ग्रामीण विकास मंत्री पहले ही 26 दिसंबर, 2011 के पत्र के अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को प्रस्तुत कर चुके हैं। इस प्रस्ताव को नीति आयोग का समर्थन प्राप्त है। आर्थिक कार्य विभाग की संवेद्धा समिति द्वारा इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है और दूसरे ग्रामीण सङ्क संयोजन निवेश कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मांग एशियाई विकास बैंक के समक्ष रख दी है।

वित्त-पोषण योजना इस प्रकार है—

वित्त-पोषण	द्रांशे 1 (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	द्रांशे 2 (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	द्रांशे 3 (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
एडीबी (सामान्य पूंजी स्रोत) (41.70 प्रतिशत)	250.00	250.00	500.00
भारत सरकार (5830 प्रतिशत)	340.60	359.40	700.00
जोड़	<b>590.60</b>	<b>609.40</b>	<b>1200.00</b>

एडीबी के 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण के साथ एमएफएफ का प्रथम द्रांशे 590.60



मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ट्रांशे की व्याप्ति में सिविल कार्य, परामर्शी सेवाओं और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं तथा भारत सरकार जन-उपयोगी सुविधाओं, सामाजिक उपशमन, परामर्शी सेवाओं और परियोजना प्रबंधन का वित्तपोषण करेगी। यह ऋण सैकटर ऋण होगा जिसकी अवधि 25 वर्ष की होगी जिसमें 5 वर्ष की अनुकंपा अवधि शामिल है। असम में 976 किमी की, छत्तीसगढ़ में 1001.08 किमी और ओडिशा में 1571.00 किमी की परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और इसमें निविदा प्रक्रिया चल रही है। मध्यप्रदेश में 2156.00 किमी की और पश्चिम बंगाल में 597.00 किमी की परियोजनाओं का अनुमोदन कार्य प्रक्रिया में है। प्रथम ट्रांशे के लिए परियोजना वित्तपोषण अनुरोध आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

### तकनीकी सहायता

5 लाख अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता, अनुदान आधार पर एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण सङ्क विकास में आपदा प्रतिरोध, नवाचार, संपदा प्रबंधन के रूप में कार्यान्वयन एजेंसी की क्षमता मजबूत होगी।

### 9.3 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना को कार्यान्वित करने वाले कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए एनआरआरडीए द्वारा सीआरआरआई, नई दिल्ली, आईएएचई, नोएडा, एनआईआरडीएंडपीआर, हैदराबाद, एनआईटी, वारंगल जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों के संसाधनों का प्रयोग करते हुए एसआरआरडीए स्तर पर और पीआईयू स्तर पर काम लगातार किया जा रहा है। एनआरआरडीए ने आईएएचई, नई दिल्ली के साथ और एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि पीएमजीएस योजना के कार्यान्वयन के साथ जुड़े विभिन्न मूल विषयों पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

वर्ष 2016–17 के लिए प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया गया था और इस अवधि के दौरान 2,488 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

क्र.सं	संस्थान	2016–17 में प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या
1.	आईएएचई	1128
2.	विश्व बैंक तकनीकी सहायता घटक	571
3.	एनआईटी, वारंगल	187
4.	एआईआरडी एंड पीआर	602
	योग	2488

विश्व बैंक वित्तपोषित पीएमजीएसवाई आरआरपी—।। कार्यक्रम के अंतर्गत 8 भागीदार राज्यों में लगभग 5,959 अभियंताओं और संविदाकारों को 2015–16 के दौरान ग्रामीण सङ्क अनुरक्षण के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 2016–17 के दौरान यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 राज्यों में लागू कर दिया गया जिनमें उक्त 8 भागीदार राज्य भी शामिल हैं। अभी तक, 14,457 अभियंताओं और संविदाकारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और यह काम अभी चल रहा है।



**9.4 मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—एडीबी वित-पोषित परियोजनाओं) में सड़क सुरक्षा (उत्तम सड़क सुरक्षा पद्धतियों का प्रलेखन)**

#### **9.4.1 डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा**

ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय डिजाइन मानदंड के हिस्से के रूप में सड़क सुरक्षा पहलुओं को शामिल किया जाना होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मानक का अनुप्रयोग ग्रामीण सड़कों के विकास में किए जाने के साथ ही साथ सड़क सुरक्षा अपेक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। परियोजना में सड़क सुरक्षा विशिष्टताओं का समुचित प्रावधान करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके बाद इसका पूर्णतः उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे प्रमुख दायित्व हैं जो कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एडीबी समर्थित घटक के कार्यान्वयन के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष स्पष्ट हुए हैं।

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों की परियोजना डिजाइन करते समय एक 'आदान-प्रदान भ्रमण' अनिवार्य तौर पर कराया जाता है ताकि जोखिमों, स्थानीय दुर्घटना-प्रवण स्थलों को प्रभावी ढंग से चिह्नित किया जा सकने और सबसे बढ़कर यह कि संभावित एवं स्थानीय रूप से स्वीकार्य जवाबी उपायों का पता लगाया जा सकने की दृश्टि से स्थानीय समुदायों को विश्वास में लिया जा सके। इस कवायद से प्राप्त जानकारी को दर्ज किया जाता है और डीपीआर तैयार करते समय इस पर ध्यान दिया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई यह सुनिश्चित करती है कि यह कवायद कराई अवश्य जाए और सड़क सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए सुझाए गए कामों को डिजाइन में शामिल किया जाए, इसका उल्लेख विशेष रूप से डीपीआर में और निविदा दस्तावेजों के बीओक्यू में किया जाए।

#### **9.4.2 सड़क सुरक्षा जोखिम**

मोटर वाहनों के ग्रामीण सड़क प्रचालनों में सड़क सुरक्षा का मुद्दा मुख्य तौर पर भौतिक जोखिमों, चौराहों पर यातायात प्रचालनों, बसावटों अथवा कार्य-कलाप केन्द्रों जैसे कि स्कूलों और बाजारों से होकर गुजर रही सड़कों पर यातायात प्रचालनों से जुड़ा होता है।

क) **भौतिक जोखिम:** सड़क किनारे का कोई जोखिम सड़क किनारे की वह वस्तु या संरचना होती है जो सड़क मार्ग पर या उसके निकट अवस्थित होती है और कैरिजवे से हटकर चलने वाले किसी वाहन की सवारियों या सवारों को जिससे खतरा पैदा होने की संभावना होती है। सड़क किनारे वाहनों की भिड़ंत से केवल घटित हो रही दुर्घटनाओं की संख्या का कारण चिन्ता का विषय नहीं हैं बल्कि उन वाहनों की भिड़ंत की गंभीरता का कारण भी चिन्ता का विषय हैं। इस प्रकार की भिड़ंत का परिणाम मौत या गंभीर चोट के रूप में सामने आने की संभावना आम तौर पर अधिकांश अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं से अधिक होती है।

ख) **चौराहे:** चौराहों पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे मुख्य तौर पर सामने से आने वाले यातायात को ठीक तरह से न देख पाने के कारण पैदा होते हैं, उदाहरण के लिए ऊँची चारदीवारियां दृष्टि अवरोधक बन जाती हैं और कभी-कभी इसके साथ वाहनों की गति भी एक कारण बन जाती है और तब भिड़ंत से बचाव संभव नहीं हो पाता।



- ग) बसावटें या क्रियाएँ—कलापों के अन्य केन्द्रः बसावटों से जुड़े सङ्क सुरक्षा मामलों में प्रायः पैदल यात्री, स्कूली बच्चे, बिना मोटर वाले वाहन प्रयोक्ता, अथवा निवासियों के पशु शामिल होते हैं।

ऐसे कुछ जोखिमों की सूची नीचे दी जा रही है:

1. प्रारंभिक स्थान और अंतिम पड़ाव वाले जंक्शन
2. तीखे घुमाव
3. शोल्डरों पर वृक्ष और बिजली के खंभे
4. सङ्क संरेखण के निकट चालू अथवा अप्रयुक्त कुएं
5. ऊंचे तटबंध
6. संरेखण पर स्थित स्कूल / बसावटें
7. बिजली की आर-पार जा रही लाइन

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना सङ्कों पर उपयुक्त सङ्क संकेतकों की संस्थापना एवं प्रयोग सहित विभिन्न नवाचार एवं जवाबी उपाय किए गए हैं ताकि इन जोखिमों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को जोखिम न्यूनतम किया जा सके।

#### 9.5 प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना में वैब आधारित जीआईएस सुविधा का सृजन

बसावटों, ब्लॉक बाउंड्री, डीआरआरपी सङ्कों, मूल नेटवर्क सङ्कों आदि का स्पेटियल और एट्रीब्यूट डेटा तैयार करने और उसे डिजिटाइज करने की दृष्टि से 27.10.2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे के साथ किए गए ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना में वैब आधारित जीआईएस सुविधा का कार्यान्वयन किया जा सके। यह परिकल्पना की गई है कि यह परियोजना जनवरी, 2018 तक पूरी कर ली जाएगी। अपेक्षित स्पेटियल डाटा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों की है और सीडैक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह परियोजना को संचालित करने के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर तैयार करेगा। पीएमजीएसवाई राष्ट्रीय जीआईएस के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार कर लिए गए हैं और पीएमजीएसवाई वैबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। एनआरआरडीए, वैब आधारित जीआईएस के सृजन में राज्यों के साथ-साथ सीडैक को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एचआईपीए, हरियाणा में 9 और 10 फरवरी, 2017 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी ताकि इसके कार्यान्वयन में आ रहे मुददों को स्पष्ट किया जा सके और उन पर चर्चा की जा सके।

#### 10. नामिका में हाल ही में शामिल किए गए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के लिए अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

गुणवत्ता प्रबोधन के तीसरे स्तर के अंतर्गत तैनात किए गए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों से यह



सत्यापन अपेक्षित होता है कि राज्यों की गुणवत्ता प्रबोधन प्रणाली पर्याप्त है या नहीं और यह भी अपेक्षित होता है कि प्रणाली में व्यवस्थित सुधारों को सुगम बनाने की दृष्टि से वे गुणवत्ता प्रबंधन न्यूनताओं के बारे में फीडबैक दें। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों से यह अपेक्षित होता है कि वे निर्धारित प्रारूपों में अपनी व्यवस्थित फीडबैक उपलब्ध कराएं और साथ ही, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण परिणाम एवं फोटोग्राफ भी दें। इन राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे एन्ड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ‘ओमास’ (कार्यक्रम प्रबोधन वैबसाइट) में प्रत्येक निरीक्षित परियोजना के गुणवत्ता श्रेणीकरण सारांश और फोटोग्राफ अपलोड करें। निरीक्षित परियोजनाओं के गुणवत्ता श्रेणीकरण सारांश और फोटोग्राफ सार्वजनिक रूप में उपलब्ध हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत प्रणालीगत एवं अन्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के बारे में प्रारंभिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दृष्टि से, नामिका में हाल ही में शामिल किए गए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के दौरान, राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को कार्यक्रम के दिशा—निर्देशों के बारे में और “निरीक्षण के सारांश एवं फोटो को स्वतंत्र मॉनीटरों द्वारा अपलोड करने के मोबाइल आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर” के बारे में जानकारी दी जाती है। वर्ष 2016–17 की अवधि (अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक) में, नामिकाओं में शामिल किए गए कुल 26 नए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के लिए आईएएचई, नोएडा में 27 से 29 दिसंबर, 2016 तक 01 अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए:

1. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सङ्कों के लिए कार्यक्रम दिशा—निर्देश और विनिर्देशों के बारे में जानकारी।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सङ्कों के लिए विनिर्देश और गुणवत्ता नियंत्रण स्थानिक परीक्षण।
3. गुणवत्ता प्रबोधन के तीसरे स्तर के अंतर्गत निर्धारित प्रणालियां और पद्धति तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा की गई रिपोर्टिंग में पाई जाने वाली न्यूनताओं के बारे में पावर—प्वाइंट प्रस्तुतीकरण।
4. ‘ओमास’ में निरीक्षण सारांशों और फोटोग्राफों को अपलोड करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग।

इसके अलावा, यह निर्णय भी लिया गया है कि सभी राज्यों के लिए राज्य गुणवत्ता मॉनीटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर लिया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने इसे अनुमोदित कर दिया है। राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों का प्रशिक्षण अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2017 तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे और तीसरे स्तर में निरीक्षण दक्षता को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के समान प्लेटफॉर्म पर लाए जा पाने में इससे मदद मिलेगी।



## 11. चालू वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा निरीक्षणों का लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा निरीक्षणों के लिए 7,500 का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के मुकाबले राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा 7,634 निरीक्षण संचालित किए गए हैं अर्थात् एनआरआरडीए ने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है।

## 12. बजट

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित संशोधित बजट प्राक्कलन तथा इसकी तुलना में किया गया व्यय अनुलग्नक-VIII में दिया गया है। वर्ष के दौरान आदिशेष 30.18 करोड़ रुपये था, ब्याज एवं विविध प्राप्तियां 3.49 करोड़ रु. थीं तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान के रूप में 1,414.93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान कुल 1,416.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

## 13. लेखा एवं लेखा—परीक्षा

एजेंसी के लेखों की लेखापरीक्षा, इस कार्य के लिए लगाए गए मैसर्स अग्रवाल ए. कुमार एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार द्वारा की गई।

वर्ष 2016-17 के लिए तुलन पत्र, प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे के रूप में लेखा—परीक्षित लेखे तथा लेखाओं से संबंधित नोट क्रमशः अनुलग्नक IX (क), IX (ख), IX (ग), IX (घ) एवं IX (छ) पर दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियों में से 1416.47 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह खर्च मुख्यतया नाबाड़ को अदा किए गए ब्याज (67.94 करोड़ रुपये), नाबाड़ से लिए गए ऋण की मूल राशि की चुकौती (1299.99 करोड़ रुपये), एनआरआरडीए के व्यय हेतु (26.08 करोड़ रुपये), विश्व बैंक परियोजना के प्रबंधन अर्थात् आरआरपी—।। के अंतर्गत तकनीकी सहायता हेतु (22.46 करोड रुपए) और एडीबी परियोजनाओं के लिए (1.00 करोड रुपए) किया गया।

## 14. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के संबद्ध नियमों में समाविष्ट राजभाषा नीति को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में कार्यान्वित करती रही है। इस उद्देश्य से एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति जिसमें सभी निदेशक सदस्य हैं तथा जिसकी अध्यक्षता एनआरआरडीए के महानिदेशक द्वारा की जाती है, का गठन किया गया है। यह समिति, हिन्दी के प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति को समय—समय पर मॉनीटर करती है। इन समीक्षा बैठकों में दिये गये सुझावों को एजेंसी में कार्यान्वित किया गया। दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2016 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का भी आयोजन किया



गया। पखवाड़े के दौरान अधिकारियों एवं स्टॉफ के लिए वाद—विवाद तथा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरुस्कार दिये गये। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी ‘राजभाषा स्मारिका’ को वार्षिक रूप से प्रकाशित करती है जिसे हिन्दी पखवाड़े के दौरान जारी किया जाता है। ‘स्मारिका’ में एनआरआरडीए के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने लेख, लघु कहानियां व कविताएं देते हैं। एनआरआरडीए की पत्रिका ‘ग्रामीण संपर्क’, ‘वार्षिक रिपोर्ट’ तथा समय—समय पर निकाले जाने वाले अन्य पर्चे द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। एजेंसी, राजभाषा नियम, 1976 में की गई अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी कार्यालयों से हिन्दी पत्राचार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

\*\*\*\*\*






# अनुलग्नक





ਸਾਂਗਰਨ ਕੁਲਪਾਤਾ



## प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और उन्हें आबंटित राज्यों की सूची

क्रम संख्या	प्रमुख तकनीकी एजेंसी का नाम	आबंटित राज्य
1.	केन्द्रीय सङ्करित अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (सभी प्रमुख तकनीकी एजेंसियों के अलावा और उनसे हटकर)
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी	आंध्र प्रदेश
4.	बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश
5.	इंजीनियरी महाविद्यालय, बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिम बंगाल
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुबनेश्वर	छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओडिशा



## अनुलग्नक - III

### राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) की सूची

क्रम संख्या	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसी	
1	आंध्र प्रदेश	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (ii) जे एन टी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली (iii) विश्वविद्यालय इंजीनियरी महाविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय (iv) आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरी महाविद्यालय (v) विश्वविद्यालय इंजीनियरी महाविद्यालय, जेएनटीयू (vi) जवाहरलाल नेहरू टैक्नोलॉजीकल विश्वविद्यालय, अनन्तपुरम्	वारंगल—506004 हैदराबाद —500072 हैदराबाद —500007 विशाखापटनम —530 003 काकीनाडा— 533003 अनन्तपुरम्—55002
2	अरुणाचल प्रदेश	(i) जोरहाट इंजीनियरी महाविद्यालय	जोरहाट—785007
3	অসম	(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) असम इंजीनियरी महाविद्यालय, जलूकबाड़ी (iii) जोरहाट इंजीनियरी महाविद्यालय (iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	गुवाहाटी—781039 गुवाहाटी—781013 जोरहाट—785007 सिलचर—788010
4	बिहार	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान (iii) भागलपुर इंजीनियरी महाविद्यालय	पटना—800005 मुजफ्फरपुर—842003 भागलपुर—813210
5	छत्तीसगढ़	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जीई रोड (ii) भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान	रायपुर—492010 दुर्ग
6	गोवा	गोवा इंजीनियरी महाविद्यालय	फर्मागुडी, फोण्डा—403401
7	गुजरात	एस वी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	इच्छानाथ, सूरत—395007



## राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्करित विकास एजेंसी

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

क्रम संख्या	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसी	
8	हरियाणा	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय (iii) दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल	कुरुक्षेत्र—136119 सैकटर—12ए, चंडीगढ़—160012 सोनीपत—131039
9	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	हमीरपुर—177005
10	जम्मू एवं कश्मीर	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर (ii) राजकीय इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जम्मू	श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर—190006 जम्मू—181122
11	झारखण्ड	(i) बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	मेसरा—835215 (रांची) भुवनेश्वर
12	कर्नाटक	(i) बंगलौर विश्वविद्यालय (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरतकल (iii) पीडीए इंजीनियरी महाविद्यालय (iv) आईआर रास्टा, रोड इंस्टीट्यूट (v) पीईएस इंजीनियरी महाविद्यालय (vi) राजकीय एसकेएसजे प्रौद्योगिकीय संस्थान	ज्ञानभारती, बंगलुरु—560056 डाकघर—श्रीनिवासनगर, मंगलुरु—575025 गुलबर्गा—585102 बंगलुरु.560058 कर्नाटक मांडिया—571401 के आर सर्किल, बंगलुरु—560001
13	केरल	(i) इंजीनियरी महाविद्यालय (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	त्रिवेन्द्रम—695016 कालीकट—673601
14	मध्य प्रदेश	(i) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) जबलपुर इंजीनियरी महाविद्यालय (iii) श्री जीएस प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	भोपाल—462051 जबलपुर—482011 इंदौर—452003



क्रम संख्या	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसी	
		(iv) माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	ग्वालियर— 474005
15	महाराष्ट्र	(i) विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) राजकीय इंजीनियरी महाविद्यालय, औरंगाबाद (iii) राजकीय इंजीनियरी महाविद्यालय, शिवाजीनगर (iv) राजकीय इंजीनियरी महाविद्यालय, सरदार पटेल इंजीनियरी महाविद्यालय	दक्षिण अंबाझारीवाड, नागपुर—440011 औरंगाबाद—431005 पुणे —05 अमरावती—444604 मुंबई—400058
16	मणिपुर	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) मणिपुर प्रौद्योगिकी संस्थान	सिलचर—788010 ताक्येलपाट, इफाल
17	मेघालय	(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) जोरहाट इंजीनियरी महाविद्यालय	गुवाहाटी जोरहाट— 785007
18	मिजोरम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर—721303
19	नागालैण्ड	जोरहाट इंजीनियरी महाविद्यालय	जोरहाट—785007
20	ओडिशा	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (iii) वीर सुरेन्द्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (iv) इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, सारंग (v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	राउरकेला—769008 भुबनेश्वर—751003 बुरला—768018 सारंग—759146 जिला—ठेंकानाल (ओडिशा) भुबनेश्वर
21	पंजाब	(i) पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ii) पंजाब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ज्ञानी जैल सिंह परिसर (iii) थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (iv) गुरु नानक देव इंजीनियरी महाविद्यालय	चंडीगढ—160012 छबवाली रोड, भटिडा—151001 पटियाला—147004 लुधियाना—141006



## राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्करित विकास एजेंसी

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

क्रम संख्या	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसी	
22	राजस्थान	(i) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) विश्वविद्यालय इंजीनियरी महाविद्यालय, राजस्थान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (iii) एमबीएम इंजीनियरी महाविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	जयपुर—302017  कोटा—324010  जोधपुर—342011
23	सिविकम	(i) राजकीय इंजीनियरी महाविद्यालय (ii) सिविकम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, माझीतार	जलपाइगुड़ी—735102  सिविकम
24	तमिलनाडु	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरुचिरापल्ली—620015
25	त्रिपुरा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	अगरतला—799055
26	उत्तर प्रदेश	(i) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (iii) कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (iv) हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान (v) इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (vi) प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (vii) एमएमएम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	इलाहाबाद—211004  रुड़की—247667  सुल्तानपुर—228118  कानपुर—208002  सीतापुर रोड, लखनऊ—226021  वाराणसी—221005  गोरखपुर—273010
27	उत्तराखण्ड	(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	रुड़की—247667  पंतनगर—263145
28	पश्चिम बंगाल	(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) राजकीय इंजीनियरी महाविद्यालय (iii) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर	खड़गपुर—721302  जलपाइगुड़ी—735102  हावड़ा—711103



क्रम संख्या	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसी	
		(iv) जादवपुर विश्वविद्यालय (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	कोलकाता— 700032 दुर्गापुर—713209

### प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना

**2015–16 और 2016–17 के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा  
(दिए गए मूल्य में राज्यों का हिस्सा भी शामिल है)**

क्रम संख्या	राज्य	2015-16*					2016-17*				
		मूल्य (करोड़ रुपए में)	सङ्क कार्यों की संख्या	पुलों की संख्या	लंबाई किमी में	पुल की लंबाई मीटर में	मूल्य (करोड़ रुपए में)	सङ्क कार्यों की संख्या	पुलों की संख्या	लंबाई किमी में	पुल की लंबाई मीटर में
1	आंध्र प्रदेश										
2	अरुणाचल प्रदेश						1488.56	119	36	1772.60	1379.80
3	অসম						551.91	269	18	854.46	619.65
4	बिहार						2590.82	1857	199	3822.72	12333.63
5	छत्तीसगढ़						1454.78	447	163	2570.05	12811.46
6	गोवा										
7	गुजरात						50.81	11	33	26.51	1344.85
8	हरियाणा						39.16	5		52.91	
9	हिमाचल प्रदेश						1709.54	477	43	3013.14	1567.74
10	जम्मू और कश्मीर						2842.32	513	29	3519.94	1217.50
11	झारखण्ड	33.69	0	19		1238.20	2209.88	1332	116	4246.76	5974.10
12	कर्नाटक										
13	केरल	3.04	0	1		18.75	274.20	84		319.95	
14	मध्य प्रदेश	2402.77	1681	83	4391.244	7194.96	1842.81	875	173	2846.17	15031.43
15	महाराष्ट्र										
16	मणिपुर										
17	मेघालय										
18	मिजोरम						553.54	56		655.94	
19	नागालैण्ड										
20	ओडिशा						5255.86	2408	153	10110.14	10919.33
21	ਪंजाब (पीएमजीएसवाई II)	867.86	124	7	1347.06						
22	राजस्थान						1611.92	1467	0	4292.69	
23	सिक्किम						490.69	120	5	636.02	130.00
24	तमिलनाडु						758.44	573	22	1366.80	1047.84
25	तेलंगाना						205.65	37	117	69.37	5088.09
26	त्रिपुरा						111.39	23	16	104.40	560.45
27	उत्तर प्रदेश						3140.90	680	1	5409.41	18.00
28	उत्तराखण्ड						989.96	182	7	1664.00	260.00
29	पश्चिम बंगाल						2359.80	767		4259.75	
	जोड़	3307.36	1805	110	5738.304	8451.91	30532.94	12302	1131	51613.73	70303.87

\*इसमें 2015–16 और 16–17 के दौरान पीएमजीएसवाई-II के तहत दी गई मंजूरी शामिल है।



## अनुलग्नक - IV क

### प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना

**2012–13, 2013–14 और 2014–15 के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा**  
**(दिए गए मूल्य में राज्यों का हिस्सा भी शामिल है)**

क्रम संख्या	राज्य	2012-13			2013-14*				2014-15*				
		मूल्य (करोड़ रुपए में)	सङ्क कार्यों की संख्या	पुलों की संख्या	लंबाई किमी में	मूल्य (करोड़ रुपए में)	सङ्क कार्यों की संख्या	पुलों की संख्या	लंबाई किमी में	मूल्य (करोड़ रुपए में)	सङ्क कार्यों की संख्या	पुलों की संख्या	लंबाई किमी में
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	आंध्र प्रदेश	850	420	34	1,538	1,422	454	20	2,743				
2	अरुणाचल प्रदेश	611	78	14	902	880	63	66	943	201.45	13	9	215.34
3	অসম	821	293	257	689	582	404	58	989				
4	বিহার আরডব্ল্যুড়ি	2,439	1,350	96	3,846	8,163	5,163	256	11,458				
5	ছত্তীসগড়	1,011	734		2,378	861	452	118	1,485				
6	गोवा												
7	ગુજરાત	345	409		775	1,683	1,028	0	3,983				
8	हरियाणा					917	83	18	989				
9	হিমাচল প্রদেশ					286	141	3	800	246.89	77	23	547.99
10	জম্মু ও কাশ্মীর	1,775	603	55	3,495								
11	झারখণ্ড	1,827	1,064	174	3,537	1,327	729	91	2,573				
12	কর্ণাটক	60	41		155	1,119	343	50	2,338				
13	কেরল					694	415		1,012				
14	মধ্য প্রদেশ	3,574	2,705		9,373	1,186	691	112	1,941				
15	মহারাষ্ট্র	1,078	158	659	800	1,567	414	84	2,726	359.1	76	53	530.75
16	মণিপুর	254	46	44	425	578	194	6	1,302	630.57	202	6	1329.84
17	মেঘালয়					716	272	36	1,008				
18	মিজোরাম					285	29		415				
19	নাগালেণ্ড												
20	ଓଡିଶା	2,446	1,334		5,189	2,454	1,131	158	3,925				
21	ਪੰਜਾਬ	659	182		1,355	247	46		455	92.31	48	0	173.46
22	রাজস্থান	1,033	1,256		3,564	1,306	1,435		4,332				
23	সিকিম					112	40		177	136.99	26	20	136.6
24	তামিলনাড়ু	1,130	1,298	45	3,096					359.88	404	6	963.81
25	ত্রিপুরা					1,105	338	37	1,422				
26	उत্তর প্রদেশ	3,148	1,845	1	8,230	1,135	252		1,913				
27	উত্তরাখণ্ড	471	118	8	1,140	1,107	248	27	2,297				
28	পশ্চিম বঙ্গাল	3,483	1,425		6,144	1,345	597		2,567	328.58	76	0	637.574
	জোড়	27,014	15,359	1,387	56,631	31,076	14,962	1,140	53,795	2,355.77	922	117	4,535.36

\*इसमें 2013–14 और 14–15 के दौरान पीएमजीएसवाई || के तहत दी गई मंजूरियां शामिल हैं।

## प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संयोजित बसावटें और पूरी की गई लंबाई

क्रम संख्या	राज्य	मार्च, 2017 तक पूरी की गई लंबाई	मार्च, 2017 तक संयोजित बसावटें
1	आंध्र प्रदेश	13742.40	1069
2	अरुणाचल प्रदेश	5520.44	368
3	অসম	16402.68	9022
4	बिहार	43005.35	18,730
5	छत्तीसगढ़	26987.11	8873
6	गोवा	155.33	2
7	गुजरात	12503.14	3021
8	हरियाणा	5537.73	1
9	हिमाचल प्रदेश	12201.76	2061
10	जम्मू और कश्मीर	7002.31	1469
11	झारखंड	15070.83	6616
12	कर्नाटक	18515.45	296
13	केरल	2822.40	380
14	मध्य प्रदेश	65749.21	14900
15	महाराष्ट्र	25489.29	1283
16	मणिपुर	5578.13	423
17	मेघालय	1544.66	225
18	मिजोरम	2622.08	157
19	नागालैण्ड	3468.87	94
20	ओडिशा	40147.61	12486
21	ਪंजाब	7114.64	390
22	राजस्थान	61633.95	13734
23	सिक्किम	3204.19	282
24	तमिलनाडु	13690.42	1951
25	त्रिपुरा	3863.75	1763
26	उत्तर प्रदेश	50241.91	11228
27	उत्तराखण्ड	7805.34	869
28	पश्चिम बंगाल	23138.35	12408
29	तेलंगाना	9898.97	608
	जोड़	504658.27	124709
संघ राज्यक्षेत्र			
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00
34	लक्ष्मीप	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	68.53	0.00
	कुल जोड़	504726.80	124709



## प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिणाम उपलब्धि: 2016–17

क्रम संख्या	राज्य	मार्च, 2017 तक संयोजित बसावटें	मार्च, 2017 तक पूरी की गई लंबाई: किमी में
1	आंध्र प्रदेश	70	733.55
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1360.51
3	असम	294	929.52
4	बिहार	4,174	6601.62
5	छत्तीसगढ़	270	1019.57
6	गोवा	0	0.00
7	गुजरात	11	211.88
8	हरियाणा	0	62.85
9	हिमाचल प्रदेश	106	1429.27
10	जम्मू और कश्मीर	250	1785.16
11	झारखण्ड	1031	3119.52
12	कर्नाटक	6	897.09
13	केरल	7	314.33
14	मध्य प्रदेश	1079	5081.97
15	महाराष्ट्र	28	2000.70
16	मणिपुर	26	1485.85
17	मेघालय	22	368.87
18	मिजोरम	0	298.08
19	नागालैण्ड	0	395.00
20	ओडिशा	1685	5796.93
21	पंजाब	0	586.53
22	राजस्थान	1070	3110.10
23	सिक्किम	3	247.42
24	तमिलनाडु	9	883.19
25	त्रिपुरा	18	405.62
26	उत्तर प्रदेश	147	3095.25
27	उत्तराखण्ड	166	1989.32
28	पश्चिम बंगाल	1162	2825.53
29	तेलंगाना	6	408.64
	जोड़	11641	47447.00
<b>संघ राज्यक्षेत्र</b>			
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	0	0.00
32	दमन और दीव	0	0.00
33	दिल्ली	0	0.00
34	लक्ष्मीप	0	0.00
35	पांडिचेरी	0	0.00
	कुल जोड़	11641	47447.00



2016–17 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के तहत शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास पहलों के अधीन नई प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का व्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	प्रौद्योगिकी	पीएमजीएसवाई – I		पीएमजीएसवाई – II	
			सङ्कों की संख्या	सङ्क लंबाई : किमी में	सङ्कों की संख्या	सङ्क लंबाई : किमी में
1.	अरुणाचल प्रदेश	कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	31	346.50		
		नैनो टैक्नोलॉजी	20	185.59		
		जोड़	51	532.09		
2.	অসম	কোল্ড মিক্স টেকনোলোজী	97	286.07		
		নেনো টেকনোলোজী	16	47.16		
		জোড়	113	333.23		
3.	बिहार	सैल फिल्ड कंक्रीट	923	447.47		
		सीमেন्ट स्थिरीकरण	3	6.76		
		কোল্ড মিক্স টেকনোলোজী	416	702.73		
		ফ্লাই এশ সবগ্রেড	4	6.26		
		যাংত্রিক স্থিরীকরণ	210	400.51		
		বোঁটরপুঁকিং কে লিএ নেনো টেকনোলোজী	3	5.38		
		পেনল্ড সীমেন্ট কংক্রীট	126	137.31		
		অপশিষ্ট প্লাস্টিক	374	657.26		
		জোড়	2059	2363.68		
4.	छत्तीसगढ़	সैল ফিল্ড কংক্রীট	5	19.60		
		কোল্ড মিক্স টেকনোলোজী	51	171.59		
		পেনল্ড সীমেন্ট কংক্রীট	6	30.00		
		রোলর কাম্পেকিটড কংক্রীট পেবলেন্ট	26	81.54		
		জাইকোসোইল নেনোটেকনোলোজী	5	28.20		
		জোড়	93	330.94		



5.	ગુજરાત	પૈનલ્ડ સીમેંટ કંકીટ	11	26.51		
6.	હરિયાણા	નૈનો ટૈકનોલોજી ફોર વાટર પ્રૂફિંગ			5	47.01
		પૈનલ્ડ સીમેંટ કંકીટ			3	4.23
		અપશિષ્ટ પ્લાસ્ટિક			5	47.01
		જોડ			13	98.24
7.	હિમાચલ પ્રદેશ	સીસી બ્લૉક	67	50.63		
		સીમેંટ સ્થિરીકરણ	10	81.58		
		કોલ્ડ મિક્સ ટૈકનોલોજી	109	519.04		
		આરબીઆઈ 81	3	13.40		
		નૈનો ટૈકનોલોજી	2	50.20		
		પૈનલ્ડ સીમેંટ કંકીટ	6	2.78		
		રોલર કામ્પેક્ટર કંકીટ પેવમેન્ટ	2	1.82		
		જોડ	199	719.45		
8.	જામ્બુ એવ કશ્મીર	સીમેંટ સ્થિરીકરણ	1	9.60		
		નૈનો ટૈકનોલોજી	2	32.10		
		અપશિષ્ટ પ્લાસ્ટિક	30	193.11		
		જોડ	33	234.81		
9.	જ્ઞારખંડ	સેલ ફિલ્ડ કંકીટ	46	72.00		
		સીમેંટ સ્થિરીકરણ	13	35.72		
		કોલ્ડ મિક્સ ટૈકનોલોજી	66	177.10		
		ફ્લાઈ એશ	2	2.42		
		સબ ગ્રેડ સુધાર કે લિએ આયરન સ્લૈગ	2	12.10		
		નૈનો ટૈકનોલોજી ફોર વાટર પ્રૂફિંગ	3	11.15		
		આરબીઆઈ 81 ફોર સબ ગ્રેડ સ્ટેબિલાઇઝેશન	8	26.89		



## राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्करित विकास एजेंसी

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

		रोलर काम्पेक्टड कंक्रीट पेवमेंट	117	253.78		
		सॉइल स्टेबिलाइजर जेजीआरएस	3	17.49		
		स्थिरीकरण के लिए स्टील स्लैग	17	60.50		
		टैराजाइम	4	6.67		
		अपशिष्ट प्लास्टिक	5	5.70		
		जाइकोसॉइल नैनोटैक्नोलॉजी	17	40.21		
		जोड़	303	721.722		
10.	केरल	सीसी ब्लॉक			2	0.23
		सीमेंट स्थिरीकरण			3	4.99
		कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी			10	43.85
		आरबीआई 81 फॉर सब ग्रेड स्टेबिलाइजेशन			1	1.53
		अपशिष्ट प्लास्टिक			45	148.12
		जोड़			61	198.71
11.	मध्य प्रदेश	कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	25	72.75		
		केयर टैक्नोलॉजी फॉर सब ग्रेड इंप्रूवमेंट	2	1.20		
		सैल फिल्ड कंक्रीट	5	2.65		
		सब ग्रेड सुधार के लिए जियो टैक्सटाइल	1	3.79		
		पैनल्ड सीमेंट कंक्रीट	214	142.24		
		रोलर काम्पेक्टड कंक्रीट पेवमेंट	3	1.60		
		आरबीआई 81	3	0.83		
		अपशिष्ट प्लास्टिक	419	846.14		
		जोड़	673	1073.21		



12.	मिजोरम	सैल फिल्ड कंक्रीट	12	119.59		
13.	ओडिशा	सैल फिल्ड कंक्रीट	30	13.36		
		सीमेंट स्थिरीकरण	26	76.89		
		कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	392	1549.47		
		एनवायरोटैक	13	38.83		
		सब ग्रेड सुधार के लिए जियो टैक्साटइल	3	5.00		
		स्लैग के साथ ग्रेवल	12	22.49		
		सबग्रेड सुधार के लिए आयरन स्लैग	36	65.73		
		लाइम स्टेबिलाइजेशन	2	2.75		
		नैनो टैक्नोलॉजी फॉर वाटर प्रूफिंग	3	11.59		
		पैनल्ड सीमेंट कंक्रीट	84	36.45		
		रोलर काम्पेक्टड कंक्रीट पेवर्मेंट	70	77.06		
		सॉइल स्टेबिलाइजर जोजीआरएस	3	15.62		
		स्थिरीकरण के लिए स्टील स्लैग	7	15.87		
		टेराजाइम	88	300.54		
14.	राजस्थान	अपशिष्ट प्लास्टिक	10	36.22		
		जोड़	779	2267.87		
		सीसी ब्लॉक	17	6.33		
		सैल फिल्ड कंक्रीट	23	19.94		
		मार्बल रस्ती फॉर स्टेबिलाइजेशन	12	43.75		
		आरबीआई 81 फॉर सबग्रेड स्टेबिलाइजेशन	1	0.65		
		रोलर काम्पेक्टड कंक्रीट पेवर्मेंट	52	19.46		
		अपशिष्ट प्लास्टिक	269	909.13		
		जोड़	374	999.25		



## राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्करित विकास एजेंसी

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

15.	सिक्किम	कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	73	344.44		
16.	तमिलनाडु	कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	15	75.78		
		रोलर काम्पेक्टर कंप्रीट पेवरमेंट	2	0.46		
		जायकोसॉइल नैनोटैक्नोलॉजी	5	10.53		
		बेरियम कारबाइड	2	1.90		
		सीसी ब्लॉक	2	2.90		
		सीमेंट स्थिरीकरण	5	11.30		
		नैनो टैक्नोलॉजी	31	72.30		
		आरबीआई 81	8	22.77		
		स्टील स्लैग	1	1.56		
		टेराजाइम	15	27.57		
17.	तेलंगाना	अपशिष्ट प्लास्टिक	15	63.37		
		जोड़	101	290.43		
		सैल फिल्ड कंप्रीट	16	8.56		
		कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	6	7.86		
		आरसीसीपी	4	1.33		
18.	त्रिपुरा	जाइकोसॉइल नैनो टैक्नोलॉजी	3	6.59		
		जोड़	29	24.30		
		सीमेंट स्थिरीकरण	2	13.02		
19.	उत्तर प्रदेश	कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	23	104.39		
		जोड़	25	117.41		
		सी सी ब्लॉक			18	26.72
		सैल फिल्ड कंप्रीट			2	2.80
		कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी			103	562.82
		जूट जियो टैक्सटाइल फॉर सबग्रेड इम्प्रूवमेंट			17	53.76
		लाइम स्टेबिलाइजेशन			1	1.50
		नैनो टैक्नोलॉजी फॉर वाटर प्रूफिंग			60	420.54



		रोलर काम्पेक्टड कंक्रीट पेवमेंट		8	7.19
		अपशिष्ट प्लास्टिक		77	594.17
		जोड़		286	1669.50
20.	उत्तराखण्ड	सीमेंट रिथरीकरण	4	18.70	
		कोल्ड मिक्स टैक्नोलॉजी	18	158.38	
		जोड़	22	177.07	
21.	পশ্চিম বাংলা	কোল্ড মিক্স টেক্নোলোজী	116	782.01	
		জুট জিয়া টেক্সটাইল ফোর সবগ্রেড ইম্প্রুভমেন্ট	87	544.30	
		স্টীল স্লেগ ফোর স্টেবিলাইজেশন	19	91.25	
		সেল ফিল্ড কংক্রীট	11	19.59	
		সীমেন্ট রিথরীকরণ	11	69.75	
		ফ্লাই এশ সবগ্রেড	4	40.24	
		পেনল্ড সীমেন্ট কংক্রীট	138	129.42	
		রোলর কাম্পেক্টড কংক্রীট পেবমেন্ট	3	3.44	
		জোড়	389	1680.00	
		কুল জোড়	5339	12356.002	360
					1966.45



वस्तु शीर्ष और प्रयोजन	बजट प्राक्कलन 2016-17	31.03.2017 तक किया गया व्यय
<b>(1.2.1) स्थापना</b>		
(1.2.1.01) वेतन और भत्ता	<b>5,30,00,000</b>	<b>4,04,59,137</b>
(i) प्रतिनियुक्त	2,30,00,000	1,89,01,925
(ii) सेवा—निवृत्त अधिकारी	1,00,00,000	61,55,395
(iii) सहायक स्टाफ / अन्य	2,00,00,000	1,54,01,817
(1.2.1.03) समयोपरि भत्ता	60,00,000	31,51,117
(1.2.1.04) चिकित्सा दावों पर व्यय	10,00,000	2,50,814
जोड़ स्थापना	<b>6,00,00,000</b>	<b>4,38,61,068</b>
<b>(1.2.2) प्रशासनिक व्यय</b>		
(1.2.2.01) कार्यालय अनुरक्षण / कर और शुल्क	2,00,00,000	31,78,462
(1.2.2.02) घरेलू यात्रा व्यय	30,00,000	26,98,760
(1.2.2.03) विदेशी यात्रा व्यय	0	0
(1.2.2.04) वाहन को किराए पर लेना	30,00,000	25,35,216
(1.2.2.05) मुद्रण और लेखन सामग्री	8,00,000	6,95,719
(1.2.2.06) बैठक व्यय	8,00,000	4,18,290
(1.2.2.07) लेखा परीक्षकों को अदा किया गया शुल्क	8,00,000	2,83,815
(1.2.2.08) टेलीफोन –कार्यालय	10,00,000	6,11,992
(1.2.2.09) टेलीफोन: आवासीय एवं मोबाइल	3,00,000	1,20,457
(1.2.2.10) वाहन अनुरक्षण	8,00,000	7,46,551
(1.2.2.11) बिजली व्यय	26,00,000	22,88,607
(1.2.2.12) डाक खर्च	6,00,000	2,38,981
(1.2.2.13) मरम्मत और अनुरक्षण	15,00,000	8,82,549
(1.2.2.14) बीमा प्रभार	0	0
(1.2.2.15) अन्य कार्यालय व्यय	28,00,000	22,68,493
(1.2.2.16) किराया, पौर—कर और कर	1,20,00,000	1,09,29,520
जोड़: प्रशासनिक व्यय	<b>5,00,00,000</b>	<b>2,78,97,412</b>
<b>(1.2.3) अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास</b>		
(1.2.3.01) प्रशिक्षण	2,00,00,000	90,34,192
(1.2.3.02) तकनीकी विकास और अनुसंधान कार्य	50,00,000	5,15,134



(1.2.3.03) कार्यशालाएं और सम्मेलन	2,50,00,000	96,04,052
(1.2.3.04) व्यावसायिक निकायों को अंशदान	50,00,000	24,93,440
(1.2.3.05) व्यावसायिक सेवाएं	1,50,00,000	82,88,855
जोड़: अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास	<b>7,00,00,000</b>	<b>2,99,35,673</b>
<b>(1.2.4)</b> प्रकाशन, विज्ञापन और प्रचार		
(1.2.4.01) प्रकाशन	50,00,000	25,96,915
(1.2.4.02) विज्ञापन और प्रचार	10,00,000	3,51,911
(1.2.4.03) पुस्तकें, पत्रिकाएं और अव्य-दृश्य सामग्री	5,00,000	27,070
जोड़: प्रकाशन, विज्ञापन और प्रचार	<b>65,00,000</b>	<b>29,75,896</b>
<b>(1.2.5)</b> एसटीए, पीटीए और एनक्यूएम		
(1.2.5.01) एनक्यूएम को मानदेय	2,30,00,000	2,16,63,705
(1.2.5.02) एनक्यूएम के यात्रा व्यय	2,80,00,000	2,60,51,222
(1.2.5.03) प्रधान तकनीकी एजेंसियों को भुगतान	0	0
((1.2.5.04) राज्य तकनीकी एजेंसियों को भुगतान	10,00,000	5,77,982
जोड़: एसटीए, पीटीए और एनक्यूएम	<b>5,20,00,000</b>	<b>4,82,92,909</b>
<b>(1.2.6)</b> ओएमएमएस और कंप्यूटरीकरण		
(1.2.6.01) ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली का विकास और अनुरक्षण	1,00,00,000	12,063
(1.2.6.02) कंप्यूटरों और सहायक सामग्री को किराए पर लेना	0	0
(1.2.6.03) ई-प्रापण का विकास और अनुरक्षण	5,00,00,000	3,81,22,000
जोड़: ओएमएमएस और कंप्यूटरीकरण	<b>6,00,00,000</b>	<b>3,81,34,063</b>
<b>(1.2.8)</b> एडीबी से तकनीकी सहायता		
(1.2.8.01) परामर्श	1,00,00,000	1,00,00,000
(1.2.8.02) अन्य	0	
जोड़: एडीबी से तकनीकी सहायता	<b>1,00,00,000</b>	<b>1,00,00,000</b>
<b>(1.2.9)</b> विश्व बैंक सेऋण (आरआरपी-।)		
क्षमता निर्माण	0	0
जोड़: विश्व बैंक सेऋण	<b>0</b>	



<b>(1.2.10) विश्व बैंक से ऋण (आरआरपी- ॥)</b>		
(1.2.10.01) अनुसंधान और विकास	2,30,00,000	15,81,36,914
(1.2.10.02) निष्पादन का स्वतंत्र सत्यापन और वित्तीय संपरीक्षा	20,00,000	15,31,248
(1.2.10.03) प्रशिक्षण	4,00,00,000	3,37,54,160
(1.2.10.04) उपस्कर	50,00,000	10,44,000
(1.2.10.05) परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता	8,00,00,000	7,37,23,080
<b>जोड़: विश्व बैंक से ऋण (आरआरपी- ॥)</b>	<b>15,00,00,000</b>	<b>26,81,89,402</b>
<b>(2.2) पूँजीगत व्यय</b>		
(2.2.01) कार्यालय क्षेत्र की खरीद / नवीकरण		
(2.2.02) कार्यालय में फर्नीचर और फर्निशिंग	31,00,000	0
(2.2.03) वाहनों की खरीद	0	0
(2.2.04) उपस्कर और मशीनरी की खरीद	64,00,000	3,02,245
(2.2.05) कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की खरीद	20,00,000	0
<b>जोड़: पूँजीगत व्यय</b>	<b>1,15,00,000</b>	<b>3,02,245</b>



## अनुलग्नक - IX-A

### राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रूपए में)

पूंजी निधि और देयताएं	अनूसूची	2016-17	2015-16
पूंजी/बीज निधियां	1	4692,25,290.53	3902,02,364.18
आरआईडीएफ ऋण के बदले ग्रामीण विकास मंत्रालय से सहायता अनुदान (नाबाड़)		—	129998,88,780.00
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2	69,72,551.00	117,34,590.00
<b>जोड़</b>		<b>4761,97,841.53</b>	<b>134018,25,734.00</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>			
नियत परिसंपत्तियां	3	283,70,888.86	317,20,163.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	4	4478,26,952.66	3702,16,791.00
ऋण (नाबाड़) चुकता करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		—	129998,88,780.00
<b>जोड़</b>		<b>4761,97,841.53</b>	<b>134018,25,734.00</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	16		
हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक			

अग्रवाल ए. कुमार एंड एसोसिएट्स

राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी के वास्ते

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सी ए अशोक अग्रवाल

(शांति प्रिया एस.)

(अलका उपाध्याय)

पार्टनर

निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

महानिदेशक

स्थान: चंडीगढ़

दिनांक 27.09.2017

## राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी, नई दिल्ली

### अनुसूची-16

#### महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां इस प्रकार हैं—

**क. लेखांकन नीतियां (एएस-1)**

वर्ष के दौरान, एजेंसी ने भारत में प्रयोज्य लेखांकन सिद्धांतों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और उनके संबद्ध प्रावधानों के साथ उपार्जन लेखांकन का अनुकरण किया है।

**ख. नियत परिसंपत्तियां (एएस-10)**

नियत परिसंपत्तियां, लागत-रहित मूल्यहास पर दर्शाई जाती हैं। लागत में अर्जन की लागत, सुधार की लागत, और परिसंपत्ति को इसके अभीष्ट प्रयोग की अवस्था तक लाने में लगने वाली किसी आरोप्य लागत को शामिल किया जाता है।

**ग. मूल्यहास (एएस-6)**

राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को दिए गए मोबाइल उपस्कर को छोड़कर मूल्यहास का प्रावधान, आय कर अधिनियम, 1961 में निर्धारित की गई दर पर हासित मूल्य पद्धति पर किया गया है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को दिए गए मोबाइल उपस्कर, दो वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिए जाने हैं।

**घ. अनुदान (एएस-12)**

एजेंसी में विशिष्ट सहायता-अनुदान, अनुदान के व्यय-वर्ष में मान्य किया जाता है। सहायता-अनुदान, विनिर्दिष्ट उद्देश्यों जैसे कि नियत परिसंपत्तियों की खरीद और



राजस्व के लिए प्राप्त किए जाते हैं। राजस्व का लेखा—जोखा, आय और व्यय लेखे में व्यवस्थित आधार पर, संबंधित अभिप्रेत लागतों के साथ आवश्यक रूप से मेल खाने वाली अवधि के अनुरूप मान्य करते हुए रखा जाता है। ऐसे सहायता अनुदान को 'आय' लेखा—शीर्ष के अंतर्गत अलग से 'सहायता—अनुदान' के रूप में दर्शाया जाता है।

मूल्यहास के दायरे में आने वाली नियत परिसंपत्तियों की खरीद के अनुदान का लेखा—जोखा, पूंजीगत निधि के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे अनुदान को उस अवधि में आय में आबंटित कर दिया जाता है और यह आबंटन उस अनुपात में किया जाता है जिस अनुपात में मूल्यहास, इन परिसंपत्तियों के खाते में डाला गया हो।

**राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी, नई दिल्ली**  
**31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**

**अनुसूची-16****लेखाओं पर टिप्पणियाँ**

1. राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है; इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 14 जनवरी, 2002 को पंजीकृत कराया गया था। एजेंसी को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से सहायता अनुदान और सहायता प्राप्त हुई।
2. एजेंसी को ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान, नाबाड़ से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान और ब्याज की अदायगी के लिए प्राप्त हुआ। प्राप्त हुए अनुदान और नाबाड़ से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान एवं ब्याज की अदायगी का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

(रुपए में)

विवरण	मूलधन	ब्याज
प्राप्त अनुदान	1299,98,88,780.00	67,93,87,867.00
नाबाड़ को ऋण का पुनर्भुगतान	1299,98,88,780.00	67,93,87,867.00

3. 7,88,30,479.00 रुपए की लागत वाले कार्यालय भवन का पंजीकरण अभी प्राधिकरण में कराया जाना है। उप-लीज डीड भूमि एवं विकास अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के समक्ष लंबति है। इस बारे में आपत्ति पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई थी लेकिन एजेंसी ने कोई कार्रवाई इस बारे में नहीं की है।



4. देय अन्य खर्चों की सूची में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से सूची में फुटकर लेनदारों और सुरक्षा राशि के खाते में पिछले वर्ष के हैं। इस वित्त वर्ष में इस का सुधार कर लिया गया है।
5. उपयोग प्रमाणपत्र/संबंधित बिल प्राप्त न होने के कारण अग्रिम भुगतान पिछले कई वर्ष से बकाया है।

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रुपए में)
i.	प्रयोगशाला उपकरण के लिए अग्रिम	4,18,843.00
ii.	तकनीकी विकास और शोध कार्य (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	25,38,750.00
iii.	कार्यशाला एवं सम्मेलन (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	26,62,440.00
iv.	शोध और विकास	7,56,67,709.00
v.	प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	1,77,25,040.00
vi.	प्रशिक्षण के लिए अग्रिम (पश्चिम बंगाल)	2,37,54,907.00
vii.	पेशेवर निकायों में अंशदान का अग्रिम	2,56,000.00
	जोड़	<b>12,30,23,689.00</b>

6. नाबाड़ का 18,500 करोड़ रुपए का ऋण नाबाड़ को वित्त वर्ष 2010–11 से 2016–17 के बीच चुकता कर दिया गया है।

अग्रवाल ए. कुमार एंड एसोसिएट्स

राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्कर विकास एजेंसी के वास्ते

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वास्ते

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सीए अशोक अग्रवाल (पार्टनर)	(शांति प्रिया एस.) निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)	(अलका उपाध्याय) महानिदेशक

स्थान: चंडीगढ़

दिनांक: 27.09.2017

अनुलग्नक - IX-D

**राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क क विकास एजेंसी**  
**31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति और भुगतान लेखा**

(रुपय में)

आदि शब्द	प्राप्ति	2016-17	2015-16	भुगतान	2016-17	2015-16
रोकड़	-	-	-	पूंजी खाता	6,78,667.00	9,36,824.00
बैंक शेष	1604,28,336.30	5,31,305.30	430,19,035.00	नाबाउं को ऋण की चुकौती	129998,88,780.00	280000,00,000.00
सावधि जमा	1414,00,975.00			नाबाउं को अदा किया गया ऋण	6793,87,867.00	22933,82,651.00
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान</b>				<b>अन्य व्यय</b>		
क) व्यय के लिए	4700,00,000.00	7344,75,400.00	280000,00,000.00	संस्थापना व्यय	438,44,877.00	444,73,903.00
ख) नाबाउं को ऋण की चुकौती	129998,88,780.00	6793,87,867.00	22933,82,651.00	प्रशासनिक व्यय	1580,81,113.00	1543,10,920.00
ग) नाबाउं को व्याज का भुगतान	100,56,804.48	41,60,746.00		विश्व बैंक व्यय	2245,81,996.00	2415,95,442.00
<b>अन्य आय</b>				पिछले वर्ष का अदा किया गया टीईएस राज्यों को चैकों का भुगतान	21,88,589.00	5,19,529.00
व्याज से आय				दी गई प्रतिभूति जमा	18,300.00	-
				लेनदार	16,000.00	
वापसी-राज्यों से	247,66,475.00	24,911.00	24,911.00	अन्य अग्रिम	560,09,662.00	385,39,993.00
प्राय राशि	26,380.00			अन्त शेष		
				रोकड़		
विविध प्राप्तियाँ	87,973.00	1,00,325.00	1,00,325.00	बैंक शेष	2150,33,925.80	1604,28,336.30
				सावधि जमा	1063,13,813.98	1414,00,975.00
					144860,43,590.78	310756,94,373.30
						310756,94,373.30

राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क क विकास एजेंसी के वार्ते

चाटौड़ अकाउंटेंट्स के वार्ते

स्थान: चंडीगढ़

दिनांक: 27.09.2017

हस्ताक्षर  
सीए अशोक अग्रवाल  
(पार्टनर)हस्ताक्षर  
(आगंति प्रिया एस.)  
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)हस्ताक्षर  
(अलका उपाध्याय)  
महानिदेशक



अनुलग्नक - IX-E

**राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी**  
**31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय लेखा**

(राशि रूपए में)

आय	अनुसूची	2016-17	2015-16
—			
सहायता अनुदान	5	9184,90,821.21	27685,40,283.00
प्राप्त ब्याज	6	121,24,565.00	41,60,746.00
विविध प्राप्ति और पूर्व अवधि समायोजन	7	87,973.00	1,00,325.00
जोड़ (क)		9307,03,359.21	27728,01,354.00
व्यय			
नाबाड़ को अदा किया गया ब्याज		6793,87,867.00	22933,82,651.00
संस्थापना व्यय	8	438,61,068.00	439,27,684.00
प्रशासनिक व्यय	9	1572,35,953.00	1583,17,256.00
विश्व बैंक परियोजना सहायता	10	2228,31,125.00	2376,57,632.00
मूल्यहास	3	40,27,940.25	46,93,441.19
जोड़ (ख)		11073,43,953.25	27379,78,664.19
व्यय/आय की तुलना में आय/व्यय की अधिकता की स्थिति में शेष राशि (क—ख)		(1766,40,594.04)	348,22,689.81
पूँजी/बीज निधि में अंतरित		(1766,40,594.04)	348,22,689.81

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक

अग्रवाल ए. कुमार एंड एसोसिएट्स

राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी के वास्ते

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वास्ते

हस्ताक्षर

सीए अशोक अग्रवाल  
(पार्टनर)

हस्ताक्षर

(शांति प्रिया एस.)  
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

हस्ताक्षर

(अलका उपाध्याय)  
महानिदेशक

स्थान: चंडीगढ़

दिनांक: 27.09.2017

## 2016–17 में अनुसंधान एवं विकास एवं उपलब्धियां

क्रम संख्या	राज्य	2016–17 के लिए कुल अनुसंधान एवं विकास लक्ष्य लंबाई	उपलब्धि (2016–17)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	128	28.44
2	अरुणाचल प्रदेश	360	84.31
3	অসম	817	129.71
4	बिहार	970	116.55
5	छत्तीसगढ़	644	31.3
6	गोवा	0	
7	गुजरात	131	52.08
8	हरियाणा	25	56.09
9	हिमाचल प्रदेश	268	14.76
10	जम्मू और कश्मीर	213	
11	झारखण्ड	565	98.79
12	कर्नाटक	277	142.75
13	केरल	201	33.53
14	मध्य प्रदेश	1393	971.41
15	महाराष्ट्र	476	482.15
16	मणिपुर	267	74.87
17	मेघालय	1010	169.47
18	मिजोरम	243	99.83
19	नागालैण्ड	25	
20	ओडिशा	1186	557.97
21	ਪंजाब	358	51.71
22	राजस्थान	1123	151.18
23	सिक्किम	170	88.92
24	तमिलनाडु	453	341.25
25	तेलंगाना	232	4.1
26	त्रिपुरा	150	47.51
27	उत्तर प्रदेश	617	190.92
28	उत्तराखण्ड	362	88.03
29	पश्चिम बंगाल	1176	5.5
	जोड़	13839	4113.13

उपलब्धियां 'ओमास' पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर दिए गए हैं।









राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
भारत सरकार

